

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 57] No. 57] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 11, 2019/माघ 22, 1940

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 11, 2019/MAGHA 22, 1940

कृषि मंत्रालय

(कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग)

(डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय)

अध्यादेश

पूसा, 3 नवम्बर, 2018

(राजपत्र संख्या-82 दिनांक 15.09.2017 में संशोधन)

सं. 81/आर.पी.सी.ए.यू.—चूंकि भारत सरकार, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के द्वारा प्रबंध परिषद् की दिनांक 12.9.2018 को हुई पांचवी बैठक में पारित प्रस्ताव के आलोक में पत्र एफ सं0–5–50/2017—सी0ए0यू0 दिनांक 29 अक्टुबर, 2018 अ के द्वारा डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा द्वारा निर्गत गजट संख्या 82 दिनांक 15.09.2017 के द्वारा प्रकाशित प्रथम अध्यादेश सेवा एवं नियुक्ति नियमावली (गैर–शिक्षकेत्तर कर्मचारी), 2017 में निम्ननिखित धाराओं को समावेशित करने के लिए अनुमति प्रदान किया गया है।

धारा सं0	संशोधन र		संशोधन के बाद						
	पहले								
धारा संख्या	भर्ती नियमावर्ल	विलय और पु	विलय और पुनर्वितरण के बाद विश्वविद्यालय के प्रशासनिक, वित्तीय और आशुलिपिक सेवा संवर्ग की स्थिति					ति	
15(0) के रूप	में प्रदत्त नहीं	निम्नवत् होगी							
में समावेशित	है ।	प्रशासनिक							
		निम्नवर्गीय	उच्चवर्गीय	सहायक	प्रशाखा	'सहायक	'उप	कुल	
		लिपिक	लिपिक		पदा0	कुलसचिव	कुलसचिव		
		128	103	80	15	05	04	335	
		वित्तीय संवर्ग						_	
		कनीय	वरीय लेखा	लेखापाल	अंकेक्षण	सहायक	उप	कुल	
		लेखा	लिपिक		पदा० /	नियंत्रक	नियंत्रक		
		लिपिक			प्रशाखा				
					पदा0				

928 GI/2019 (1)

									1
		18	13	13	01 + 04	13	02	64	J
		आशुपिलिक संव			T 0	ı		T	7
		कनीय	निजी	आप्त सचिव	सचिव			कुल	
		आशुलिपिक	सहायक						
		30	25	02	01			58]
							भूमिका नहीं है		
							वर्तमान में स्वीकृत		
		के 3 पद के र	गथ विलय कर	दिया गया है	फलस्वरूप सह	ायक कुलसि	विके कुल वल	5 पद हो गया	है ।
		इसी तरह निदेश	शक प्रशासन एव	वं उप निदेशक	प्रशासन के स्वी	ोकृत एक–एव	_ह पद को वर्तमान	में उपकुलसि	वंव के
		स्वीकृत 2 पद	के साथ विलय	किया गया है	फलस्वरूप कु	ल ४ पद हो	जाते हैं । इन र	ाभी पदों के ए	क ही
		काम और पैमाने							
पदोन्नति	भर्ती नियमावली	निम्नलिखित क	ो सेवा और भ	र्ती नियमावली	(गैर–शैक्षणिक	कर्मचारी), 2	०१७ में पदोन्नति	शीर्षक के अ	न्तर्गत
शीर्षक के	में प्रदत्त नहीं	जोड़ा जायगाः							
अन्तर्गत जोड़ा	ਲੈ ∣	प्रशासनिक सं	वर्ग	वित्तीय	संवर्ग	3	गश्पिलिक संवर्ग		
जाना है ।		निम्नवर्गीय लि		कनीय	नेखा लिपिक	ą	नीय आशुलिपिक नीय आशुलिपिक		
		I I .	0—20200 जीपी		f 5200—20200		तनमान 52 00—20		
		1900 (पे मैट्रि	क्स-2)	2400 (1	मेट्रिक्स –4)		400 (पे मैट्रिक्स -		
		(पदों की संख			ो संख्या 18)		पदों की संख्या ३८		
		उच्चवर्गीय लि			खा लिपिक		नेजी सहायक	/	
		I I .	 0—20200 जीपी		5200-20200		. तिनमान ९३००—३४	१८०० जीपी	
		2400 (पे मैट्रि			मेटिक्स–5)		600 (पे मैट्रिक्स -		
		(पदों की संख			(पदों की संख्या 13)		(पदों की संख्या 25)		
		सहायक		लेखापा	,		ग्राप्त सचिव	<u>'1</u>	1
		l I	वेतनमान ९३००—३४८०० जीपी		T 9300—34800		र. र 1 तिनमान 9300—34	१८०० रत्तीपी	
		4200 (पे मैट्रिक्स —6)			1 3300 34000 1 मैटिक्स–6)		800 (पे मैट्रिक्स -		
		4200 (प माट्रक्स —6) (पदों की संख्या 80)			ो संख्या 13)		ठेउँ (१ गठूँपरा हे बाद (पे बैंड–3)	,	
		(यदा पर्ग तिख्या ४०)		(141 4/	1 (1041 10)		, वाय (1 वंट <i>5)</i> 5600—39100 जी		
							9000 93100 आ पे मैटिक्स—10)	11 0400	
							पदों की संख्या 02))	
		प्रशाखा पदा०		अकेशण	पदा० / प्रशाखा		<u>चिव</u>	-/	
		l I ,	0—34800 जीपी		19300-34800		. १. तनमान रूपया ११	5600—39100	
		4800 (पे मैटि			1 3300 34000 1 मैटिक्स–8)		नीपी—6600 (पे मैर्ा		
			बाद (पे बैंड–3)	,	ल के बाद (पे बैं		पदों की संख्या 01		
		फपया 15600	, ,		5600-39100	° 3) (141 मेंग राज्या व	')	
		जीपी—5400	33100	जीपी–5					
		पि मैट्रिक्स —	10)		∓00 評स −10)				
		पदों की संख	,		१२१ - 10) ो संख्या 5)				
		सहायक कुल			नियंत्रक**				-
		त्रहायक कुल रूपया 15600			5600-39100				
			–39100 : मैट्रिक्स –10)		5600—39100 400(पे मैट्रिक्स -	_10)			
			बाद जीपी0–60		400(५ माट्र५स : ल के बाद जीर्प				
		पि मैटिक्स—1			ल क बाद जाप इस–11)	10-0000			
		। (प माटक्स—१ । (पदों की संख	•	` .	ग्स—११) ो संख्या 13)				
		l - ` 							-
		उप कुलसचिव		० विवस्		20400			
		ा वतनमान रूपः जीपी–7600	या 15600—3910	७० वितनमार जीपी–७	र रूपया 15600-	-39100			
			40)						
		(पे मैट्रिक्स –	12)	(प माट्र	रस −12)				1

(पदों की संख्या 4) (पदों की संख्या 2) 'गैर–कार्यात्मक वेतनमान रूपया 15600–39100 (पीवी–3) जीपी 5400 उस ग्रेड में अनुमोदित सेवा के चार साल पुरा होने पर नियमित आप्त सचिवों के लिए स्वीकार्य होगा । गैर-कार्यात्मक वेतनमान प्रदान किए जाने वाले आप्त सचिवों को समूह बी (राजपत्रित) में रहना जारी रहेगा और सेवा के ग्रेड के प्रधान आप्त सचिव (कुलपति के सचिव) के पद पर प्रोन्नित के लिए उनकी पात्रता दोनों वेतनमानों में एक साथ विताए गए कुल अवधि के आधार पर गिना जयगा । ''सहायक कुलसचिव और सहायक नियंत्रक 8 साल की सेवा के बाद जीपी 6600/– में चले जायेंगे इसलिए उप कुलसचिव एव उप नियंत्रक का जीपी० 7600 रखा गया है । विश्वविद्यालय मुख्यालय या इसके इकाईयों में पदस्थापित सामान श्रेणी के कर्मचारियों के लिए एक ही वरीयता सूची विश्वविद्यालय में रहेगी। सहायक के पद पर नई भर्ती ग्रेड पे 4600 / – के बदले ग्रेड पे 4200 / – में किया जयगा प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए प्रोन्नित का अवसर क0सं0 पद का नाम नियक्ति की प्रक्रिया निम्नवर्गीय लिपिक (i) 85 प्रतिशत रिक्तियाँ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित (भर्ती प्रकिया अनुमोदित है) प्रतिस्पर्धा परीक्षा के माध्यम से प्रत्यक्ष भर्ती के द्वारा (ii) रिक्तियों का 10 प्रतिशत 1800 रूपये के ग्रेड वेतन में समूह 'सी' कर्मचारियों से जो अपेक्षित योग्यता रखते हों और 3 साल की नियमित सेवा प्रदान किए हो. विभागीय योग्यता परीक्षा के आधार पर भरा जायगा । (iii) रिक्तियों का 5 प्रतिशत समूह 'सी' के कर्मचारियों से जिन्होंने 1800 ग्रेड पे में तीन साल की नियमित सेवा की है, वरिष्ठता–सह–उपयुक्तता के आधार पर भरा जायगा । पद पर पदोन्त व्यक्तियों को निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर विश्वविद्यालय के भर्ती नियमों में दर्शाए गए हद तक टाईपिंग टेस्ट में अईता प्राप्त करने की आवश्यकता होगी । असफल होने पर, जबतक कि परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो जाते हों, तबतक कोई वेतनवृद्धि नहीं मिलेगा । विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर ग्रेड में कम से उच्चवर्गीय लिपिक कम 8 साल की नियमित सेवा करने वाले निम्नवर्गीय लिपिकों से शत-प्रतिशत प्रोन्नित के द्वारा भरा जायगा । (i) 50 प्रतिशत विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा 3 सहायक पर ग्रेड में कम से कम 10 साल की नियमित सेवा करने वाले उच्चवर्गीय लिपिकों से प्रोन्नित के द्वारा (ii) 25 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा जो विश्वविद्यालय के उच्चवर्गीय लिपिक तक सीमित है जिन्होंने ग्रेड में 6 साल की नियमित सेवा पूरी की हों । (iii) 25 प्रतिशत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ख्ली प्रतिस्पर्धा परीक्षा के आधार पर प्रत्यक्ष भर्ती के द्वारा (i) 50 प्रतिशतः ग्रेड में कम से कम 6 साल की नियमित प्रशाखा पदाधिकारी सेवा रखनेवाले सहायक के बीच प्रोन्नित के द्वारा । (ii) 50 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सहायक, निजी सहायक तक समिति जिनके पास ग्रेड में कम से कम पाँच साल नियमित सेवा किए

5	सहायक कुलसचिव	(i) 50 प्रतिशत— विभागीय प्रोन्नित समिति की अनुशंसा पर कम से कम 6 साल की नियमित सेवा रखने वाले प्रशाखा पदाधिकारी के बीच से वरीष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर । (ii) 25 प्रतिशत— प्रतिनियुक्ति के द्वारा
6	सहायक नियंत्रक	(iii) 25 प्रतिशत—प्रत्यक्ष भर्ती के द्वारा (i) 50 प्रतिशत—वित्तीय सर्म्वग के प्रशखा पदाधिकारी जिन्होंने ग्रेड में नियमित सेवा 6 साल से कम नहीं किया हो, वरीष्ठता—सह—योग्यता के अनुसार विभागीय प्रोन्नति
7	उप कुलसचिव	समिति के अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नित के द्वारा। (ii) 25 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति से (iii) 25 प्रतिशत प्रत्यक्ष भर्ती से (i) 50 प्रतिशत–सहायक कुलसचिव से जिन्होंने ग्रेड में
,		नियमित सेवा 6 साल से कम नहीं किया हो, वरीष्ठता—सह—योग्यता के आधार पर प्रोन्नति के द्वारा (ii) 50 प्रतिशत— केन्द्रीय या राज्य सरकार/विश्वविद्यालय या केन्द्र श्शासित प्रदेशें के पदाधिकारियों से प्रतिनियुक्ति/प्रत्यक्ष भर्ती के द्वारा ।
8	उप नियंत्रक	(i) 50 प्रतिशत—सहायक सहायक नियंत्रक से जिन्होंने ग्रेड में नियमित सेवा 6 साल से कम नहीं किया हो, वरीष्ठता—सह—योग्यता के आधार पर प्रोन्नित के द्वारा (ii) 50 प्रतिशत— केन्द्रीय या राज्य सरकार/विश्वविद्यालय या केन्द्र श्शासित प्रदेशें के पदाधिकारियों से प्रतिनियुक्ति/प्रत्यक्ष भर्ती के द्वारा ।
9	कनीय आशुपिलिक (भर्ती प्रक्रिया अनुमोदित है)	शत—प्रतिशत विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रत्यक्ष भर्ती के द्वारा
10	निजी सहायक	शत—प्रतिशत कनीय आशुलिपिक जिन्होंने पी0वी—2 रूपया़ 2400 ग्रेड पे में लगातार 10 वर्षो की सेवा की हो से प्रोन्नित के द्वारा ।
11	आप्त सचिव	शत—प्रतिशत निजी सहायक जिन्होंने वेतनमान 9300—34800 ग्रेंड पे 4600 में लगातार 10 वर्षों की सेवा की हो विभागीय प्रोन्नित समिति के अनुशंसा पर प्रोन्नित के द्वारा ।
12	कुलपति के सचिव	शत—प्रतिशत आप्त सचिव के वरीयता के आधार पर जिन्होंने वेतनमान 15600—39100 ग्रेड पे 5400 में लगातार 6 वर्षों से कम की सेवा न की हो विभागीय प्रोन्नित समिति के अनुशंसा पर प्रोन्नित के द्वारा ।
13	कनीय लेखा लिपिक	शत—प्रतिशत विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रत्यक्ष भर्ती के द्वारा
14	वरीय लेखा लिपिक	शत— प्रतिशत—कनीय लेखा लिपिक से जिन्होंने ग्रेड में नियमित सेवा कम—से—कम 5 साल का किया हो, प्रोन्नित के द्वारा
15	लेखापाल (भर्ती प्रक्रिया अनुमोदित है)	(i) 50 प्रतिशत—वरीय लेखा लिपिक से जिन्होंने ग्रेड में नियमित सेवा 10 साल से कम नहीं किया हो, विभागीय प्रोन्नित समिति के अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नित के द्वारा । (ii) 25 प्रतिशत् सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा

		सिर्फ वरीय लेखा लिपिक से जिन्होने 6 साल ग्रेड में
		नियमित सेवा की हो।
		(iii) 25 प्रतिशत विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित खुली
		प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रत्यक्ष भर्ती के द्वारा ।
	16 अंकेक्षण पदाधिकारी	शत-प्रतिशत् लेखपाल से जिन्होंने ग्रेड में नियमित सेवा
		6 साल से कम नहीं किया हो, वरीष्ठता-सह-योग्यता के
		आधार पर प्रोन्नित के द्वारा ।
	कार्मिक एवं पशिक्षण विभाग	। में प्रचलित नियमों के अनुसार इन पदों के प्रोन्नित प्रक्रिया तैयार
		वर्तमान में कोई अतिरिक्त वित्तीय दायित्व नहीं होगा क्यों कि
		गन के कारण सभी उच्च श्रेणी में हैं ।
-\0		
अपेन्डिक्स–1 सुडुल		परिशिष्ट –1 अनुसूची के कमाक 7 से 12 में जोडने के लिए
	किए जा चुके हैं ।	अनुमोदित किया जना है
	1. सहायक	1. कुलसचिव
	2. लेखापाल	2. नियंत्रक
	3. कनीय अंकेक्षक	3. उप नियंत्रक अंकेक्षक एवं लेखा
	4. प्रमंडलीय लेखापाल	4. सहायक नियंत्रक
	5. कनीय आशुलिपिक	5. उपकुलसचिव
	6. निम्नवर्गीय लिपिक	6. सहायक कुलसचिव
		7. कनीय लेखा लिपिक
		8. कुशल सहायक कर्मचारी

कुलसचिव पद के लिए भर्ती नियमावली ।

1	पद का नाम	कुलसचिव
2	वर्गीकरण	समुह ए
3	वेतन वैन्ड एवं ग्रेड वेतन	वेतनमानः लेवल 14 7वी सी0पी0सी0
4	सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र	आवेदन की अंतिम तिथि को उम्मीदवार 58 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किए हों ।
5	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं	अनिवार्य अर्हता (i) कृषि / उद्यान / पशुचिकित्सा विज्ञान / आधार विज्ञान / सामुदायिक विज्ञान / कृषि अभियंत्रण की किसी भी श्शाखा में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पी०एच०डी० की उपाधि (ii) कम से कम 15 वर्षों का शिक्षण / अनुसंधान का अनुभव जिसमें कम से कम 5 वर्ष प्रोफेसर / प्रधान वैज्ञानिक पे बैंड-4 रूपया 37400-67000 एवं ग्रेड पे 10000:-रूपया होना चाहिए । (iii) शिक्षण / अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान, जैसा कि पेशेवर राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेखों / पुस्तकों आदि में प्रकाशित आनेखों द्वारा स्पष्ट होता हो । बांछित (i) विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष / प्रभाग के प्रमुख / आई०सी०ए०आर के क्षेत्रीय केन्द्रों के अध्यक्ष के रूप में प्रशासनिक अनुभव (ii) कृषि शिक्षा / अनुसंधान में नवीनतम प्रगति के विषय में ज्ञान । अन्य शर्त्त एवं बंधेज (a) कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा और पदग्राही पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा । कार्यकाल को कर्तव्य के घोर दुराचार / अपमान के मद्देनजर प्रबंध बोर्ड द्वारा रोका जा सकता है । (b) पदग्राही 60 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत होंगे ।

6	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र एवं	मान्य नहीं
	शैक्षणिक योग्यताए क्या प्रोन्नति के लिए भी	
	लागू होगा?	
7	परिक्ष्यमान अवधि, अगर कोई हो	02 साल
8	नियुक्ति की पद्धति, सीधी नियुक्ति या	सीधी भर्ती
	प्रोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन	
	के द्वारा एवं विभिन्न तरीकों से भरने के लिए	
	पदों का प्रतिशत	
9	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा	मान्य नहीं
	भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे	
	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन किया	
	जाना है	
10	सीधी नियुक्ति के लिए चयन समिति का	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ के परिनियम के धारा १८
	गढन	(2) यथा समय—समय पर संशोधित के अनुसार होगा ।

नियंत्रक पद के लिए भर्ती नियमावली ।

1	पद का नाम	नियंत्रक
	वर्गीकरण	
2		समुह ए
3	वेतन वैन्ड एवं ग्रेड वेतन	वेतनमानः लेवल १२ ७वीं सी०पी०सी० के अनुसार
4	सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र	आवेदन की अंतिम तिथि को उम्मीदवार 58 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किए हों।
5	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य	(i) किसी भी विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंक के साथ मास्टर डिग्री या इसके
	योग्यताएं	समकक्ष ग्रेड बी यु०जी०सी० के सात अंकों के पैमाने पर
		(ii) वित्तीय प्रबंधन में कम से कम 15 वषों का उचित अनुभव जिसमें से 3 साल उप
		नियंत्रक / उप वित्त अधिकारी या किसी भी विश्वविद्यालयस / संबद्ध
		महाविद्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र. के उपकम/स्वायत संगठन/बहुराष्ट्रीय संगठन/सरकार
		में इसके समतुल्य पद या 15 वर्ष की समग्र सेवा जिसमें 10 वर्ष सहायक वित्त
		अधिकारी / सहायक नियंत्रक के पद पर होना चाहिए
		अन्य शर्त्ते एवं बंधेज
		(a) कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा और पदग्राही पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।
		कार्यकाल में कर्तव्य के घोर दुराचार/अपमान के मद्देनजर प्रबंध बोर्ड द्वारा रोक लगाया
		जा सकता है ।
		(b) पदग्राही 60 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत होंगे
	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र एवं	मान्य नहीं
	शैक्षणिक योग्यताए क्या प्रोन्नति के लिए भी	
	लागू होगा?	
7	परिक्ष्यमान अवधि, अगर कोई हो	02 साल
8	नियुक्ति की पद्धति, सीधी नियुक्ति या	सीधी नियुक्ति
	प्रोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन	
	के द्वारा एवं विभिन्न तरीकों से भरने के लिए	
	पदों का प्रतिशत	
9	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा	पाँच वर्षो विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियंत्रक की नियुक्ति किया जा
	भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे	सकता है ।
	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन किया	किसी व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति पर नियंत्रक के रूप में नियुक्त किए जाने के मामले में,
	जाना है ।	उनका कार्यकाल, परिलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्त्ते प्रतिनियुक्ति के मानक के अनुसार
		होगी ।

10	सीधी नियुक्ति के लिए चयन समिति का	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ के परिनियम के धारा १८
	गठन	(2) यथा समय–समय पर संशोधित के अनुसार होगा ।

उप नियंत्रक पद के लिए भर्ती नियमावली ।

1	पद का नाम	उप नियंत्रक
2	वर्गीकरण	समुह ए
3	वेतन वैन्ड एवं ग्रेड वेतन	वेतनमान रूपया 15600—39100 जी0पी0 7600 (लेवल 12)
4	सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र	सामान्यतः 50 वर्ष (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के नियमानुसार उम्र सीमा में छूट दी जा सकत है)
5	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताए	च्युनतम योग्यता (i) किसी भी विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंक के साथ किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मास्टर डिग्री या इसके समकक्ष ग्रेड बी यु०जी०सी० के सात अंकों के पैमाने पर (ii) किसी भी मानित विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय में शैक्षणिक प्रशासन में कम से कम 9 वर्षों का अनुभव या अनुसंधान प्रतिष्ठान और/या उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में समतुल्य अनुंभव या सहायक नियंत्रक/सहायक वित्त अधिकारी या समतुल्य पद पर 5 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव वांकित (i) केन्द्रीय/राज्य सरकारं/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में शैक्षिक/परीक्षा/वित्त और लेखा/खरीद/लेखा/बजट के किसी कार्यालय में प्रासंगिक प्रशासनिक अनुभव । (ii) सूचना और संचार का ज्ञान ।
	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र एवं शैक्षणिक योग्यताए क्या प्रोन्नित के लिए भी लागू होगा?	मान्य नहीं
7	परिक्ष्यमान अवधि, अगर कोई हो	02 साल
8	नियुक्ति की पद्धित, सीधी नियुक्ति या प्रोन्नित के द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन के द्वारा एवं विभिन्न तरीकों से भरने के लिए पदों का प्रतिशत	50 प्रतिशत प्रोन्नित से एवं 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति / सीधी नियुक्ति से । शैक्षणिक स्कोर — 100 अंक
9	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन किया जाना है	पदोन्नतिः सहायक नियंत्रक या इसके समकक्ष से जिन्होंने सहायक नियंत्रक की श्रेणी में न्यूनतम 6 वर्षों की नियमित सेवा की हों प्रितिनयुक्ति नियमित रूप से समरूप पद रखनेवाला व्यक्ति या वेतन बैंड 15600—39100 जी0पी0 5400/6600 में सहायक नियंत्रक/सहायक वित्त अधिकारी या समतुल्य पद पर कम से कम छह साल का अनुभव।
10	सिधी नियुक्ति के लिए चयन समिति का गठन	भर्ती नियमावली(शिक्षकेत्तर कर्मचारी) 2016 के परिशिष्ट—1 के अनुसार ।

सहायक नियंत्रक पद के लिए भर्ती नियमावली ।

1	पद का नाम	सहायक नियंत्रक

2	वर्गीकरण	यमर ग
3	वेतन वैन्ड एवं ग्रेड वेतन	समुह ए वेतनमानः रूपया 15600—39100 जी0पी0 5400 (लेवल 10) 8 वर्ष की सेवा इसी पे बैंण्ड
3	विता वर्ष १५ प्रक वर्तन	में पूरा करने के बाद पदग्राही इसी पे बैंण्ड में 6600 ग्रेड पें में चला जायगा लेकिन
		उनका पदनाम सहायक नियंत्रक ही रहेगा ।
4	सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र	40 वर्ष से ज्यादा नहीं (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के नियमानुसार उम्र सीमा में छुट दी
	Mish i igist se itiy i ishitti ozi	जा सकत है)
5	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य	न्युनतम योग्यता
	योग्यताए	(i) किसी भी विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंक के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त
		विश्वविद्यालय / संस्थान से मास्टर डिग्री या इसके समकक्ष ग्रेड 'बी' यु०जी०सी० के सात
		अंकों के पैमाने पर
		(ii) केन्द्रीय/सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शैक्षिक/परीक्षा/वित्त
		और लेखा/खरीद/लेखा परीक्षा/बजट में किसी कार्यालय में 3 वर्षों का प्रासंगिक
		प्रशासनिक अनुभव
		सूचना और संचार का अच्छा ज्ञान
	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र एवं	मान्य नहीं
	शैक्षणिक योग्यताएं क्या प्रोन्नति के लिए भी	ואוי טיוף
	लागू होगा?	
7	परिक्षयमान अवधि, अगर कोई हो	02 साल
8	नियुक्ति की पद्धति, सीधी नियुक्ति या	50 प्रतिशत प्रोन्नति से, 25 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति एवं 25 प्रतिशत सीधी नियुक्ति से ।
	प्रोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन	शैक्षणिक अर्हता पर अंक
	के द्वारा एवं विभिन्न तरीकों से भरने के लिए	0.10× हाई स्कुल (अंक औसत में)+ 0.15 × (10+2) का अंक (अंक औसत में) + 0.
	पदों का प्रतिशत	25× स्नातक / अंक (अंक औसत में) +10 अंक स्नातकोत्तर के लिए (अधिकतम 50
		अंक) $+$ 5 $ imes$ सरकारी $/$ अर्ध सरकारी $/$ सार्वजनिक क्षेत्र के इकाई में अनुभव के वर्षी की
		संख्या । (अधिकतम २५ अंक) कुल ७५ अंक
		लिखित परीक्षा
		सामान्य ज्ञान 50
		भाषा 100
		विषय वस्तु १००
		अन्तर्वीक्षा 100
		कुल स्कोर —शैक्षणिक स्कोर 25 प्रतिशत+ लिखित— 50 प्रतिशत+अन्तर्वीक्षा—25 प्रतिशत पदोन्नति : प्रशाखा पदाधिकारी या इसके समकक्ष से जिन्होंने प्रशाखा पदाधिकारी की
9	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे	पदान्नात : प्रशाखा पदाधिकारा या इसक समकक्ष स ।जन्हान प्रशाखा पदाधिकारा का श्रेणी में कम से कम 6 वर्षों की नियमित सेवा की हों
	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन किया	प्रतिनियुक्ति
	जाना है	नियमित रूप से समरूप पद रखनेवाला व्यक्ति या वेतन बैंड 9300—34800 जी0पी0 4800
	311 11 Q	में प्रशाखा पदाधिकारी या समतुल्य पद पर कम से कम छह साल का अनुभव ।
10	सीधी नियुक्ति के लिए चयन समिति का	भर्ती नियमावली (शिक्षकेत्तर कर्मचारी) 2016 के परिशिष्ट –1 के अनुसार ।
	गठन	

उप कुलसचिव पद के लिए भर्ती नियमावली ।

1	पद का नाम	उप कुलसचिव
2	वर्गीकरण	समुह ए
3	वेतन वैन्ड एवं ग्रेड वेतन	वेतनमानः रूपया १५६००—३९१०० जी०पी० ७६०० (लेवल १२)
4	सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र	सामान्यतः 50 वर्ष (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के नियमानुसार उम्र सीमा में छुट दी जा
		सकती है)
5	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य	न्युनतम योग्यता

	War wi	a. किसी भी विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंक के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त
	योग्यताएं	
		विश्वविद्यालय / संस्थान से मास्टर डिग्री या इसके समकक्ष ग्रेड 'बीं' य0ुजी0सी0 के सात
		अंकों के पैमाने पर
		b. किसी भी मानित विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय में शैक्षणिक प्रशासन में कम से कम
		९ वर्षो का अनुभव
		या
		अनुसंधान प्रतिष्ठान और / या उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में तुलनात्मक अनुंभव
		या
		सहायक कुलसचिव या समतुल्य पद पर 5 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव
		वांछित योग्यता
		कृषि की उपाधि एवं कम्पयुटर का ज्ञान
	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र एवं	मान्य नहीं
	शैक्षणिक योग्यताएं क्या प्रोन्नति के लिए भी	
	लागू होगा?	
7	परिक्षयमान अवधि, अगर कोई हो	02 साल
8	नियुक्ति की पद्धति, सीधी नियुक्ति या	50 प्रतिशत प्रोन्नति से एवं 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती से ।
	प्रोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन	शैक्षणिक स्कोर – 100 अंक
	के द्वारा एवं विभिन्न तरीकों से भरने के लिए	अन्तर्वीक्षा — 100 अंक
	पदों का प्रतिशत	
9	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा	पदोन्नतिः सहायक कुलसचिव से जिन्हें न्यूनतम ३ वर्षों का अनुभव हो या
	भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे पदोन्नति/	प्रतिनियुक्ति समरूप पद रखनेवाला व्यक्ति/अवर सचिव पद पर 6600 ग्रेड पे में कम से
	प्रतिनियुक्ति / समायोजन किया जाना है	कम ३ साल का का अनुभव ।
10	सीधी नियुक्ति के लिए चयन समिति का	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ के परिनियम के धारा १८
	गढन	(2) यथा समय—समय पर संशोधित के अनुसार होगा ।

सहायक कुलसचिव पद के लिए भर्ती नियमावली ।

1	पद का नाम	सहायक कुलसचिव
2	वर्गीकरण	समुह ए
3	वेतन वैन्ड एवं ग्रेड वेतन	वेतनमानः रूपया 15600—39100 जी0पी0 5400 (लेवल 10) 8 वर्ष की सेवा इसी पे बैंण्ड में पूरा करने के बाद पदग्राही इसी पे बैंण्ड में 6600 के ग्रेड पें में चला जायगा लेकिन उनका पदनाम सहायक कुलसचिव ही रहेगा ।
4	सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र	40 वर्ष से ज्यादा नहीं (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के नियमानुसार उम्र सीमा में छुट दी जा सकती है)
5	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं	(i) किसी भी विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंक के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मास्टर डिग्री या इसके समकक्ष ग्रेड 'बी' युजीसी के सात अंकों के पैमाने पर (ii) केन्द्रीय/सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में शैक्षिक/परीक्षा/वित्त और लेखा/खरीद/मानव संसाधन प्रबन्धन में किसी कार्यालय में 3 वर्षों का प्रासंगिक प्रशासनिक अनुभव वांछित सूचना और संचार का अच्छा ज्ञान
	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र एवं शैक्षणिक योग्यताएं क्या प्रोन्नति के लिए भी	मान्य नहीं
	लागू होगा?	

7	परिक्ष्यमान अवधि, अगर कोई हो	02 साल
8	नियुक्ति की पद्धति, सीधी नियुक्ति या	50 प्रतिशत प्रोन्नित सं, 25 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति एवं 25 प्रतिशत सीधी भर्ती से ।
	प्रोन्निति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन	शैक्षणिक अर्हता पर अंक
	के द्वारा एवं विभिन्न तरीकों से भरने के लिए	0.10× हाई स्कुल (अंक औसत में)+ 0.15 × (10+2) का अंक (अंक औसत में) + 0.
	पदों का प्रतिशत	25× स्नातक / अंक (अंक औसत में) +10 अंक स्नातकोत्तर के लिए (अधिकतम 50
		अंक) + 5 × सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के इकाई में अनुभव के वर्षो की
		संख्या । (अधिकतम 25 अंक) कुल 75 अंक
		लिखित परीक्षा
		सामान्य ज्ञान 50
		भाषा 100
		विषय वस्तु 100
		अन्तर्वीक्षा 100
		कुल स्कोर –शैक्षणिक स्कोर 25 प्रतिशत+ लिखित– 50 प्रतिशत+अन्तर्वीक्षा–25 प्रतिशत
9	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा	पदोन्नतिः प्रशाखा पदाधिकारी या इसके समकक्ष से जिन्होंने प्रशाखा पदाधिकारी की श्रेणी
	भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे	में कम से कम 6 वर्षों की नियमित सेवा की हों
	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन किया	प्रतिनियुक्ति
	जाना है	नियमित रूप से समरूप पद रखनेवाला व्यक्ति या वेतन बैंड 9300—34800 जी0पी0
		4800 में प्रशाखा पदाधिकारी या समतुल्य पद पर कम से कम छह साल का अनुभव ।
10	सीधी नियुक्ति के लिए चयन समिति का	भर्ती नियमावली (शिक्षकेत्तर कर्मचारी) 2016 के परिशिष्ट –1 के अनुसार ।
	गठन	

कनीय लेखा लिपिक पद के लिए नियुक्ति प्रकिया

1	पद का नाम	कनीय लेखा लिपिक
2	वर्गीकरण	समुह बी
3	वेतन वैन्ड एवं ग्रेड वेतन	रूपया 5200–20200 (पी०बी०–2) एवं जी०पी० 2400 (लेवेल–4)
4	सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र	30 वर्ष (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के नियमानुसार उम्र सीमा में छुट दी जा सकत है)
5	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य	1. किसी भी विश्वविद्यालय से इन्टरमिडिएट
	योग्यताए	2. कम्पयुटर एपलिकेशन का ज्ञान
6	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र एवं शैक्षणिक योग्यताएं क्या प्रोन्नित के लिए भी लागू होगा?	मान्य नहीं
7	परिक्षयमान अवधि, अगर कोई हो	02 साल
8	नियुक्ति की पद्धति, सीधी नियुक्ति या प्रोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन के द्वारा एवं विभिन्न तरीकों से भरने के लिए पदों का प्रतिशत	शत–प्रतिशत सीधी भर्ती
9	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिस पर पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन किया जाना है	नियमित रूप से केन्द्र / राज्य सरकार, विश्वविद्यालय एवं अन्य स्वायत संस्थानों में समरूप पद रखनेवाला पदाधिकारी ।

10	सीधी नियुक्ति के लिए चयन समिति का	नियुक्ति नियमावली (गैर–शिक्षकेत्ता कर्मीचारी), 2016 के परिशिष्ट–1 के अनुसार
	गढन	

कुशल सहायक कर्मचारी के पद के लिए नियुक्ति प्रकिया

1	पद का नाम	कुशल सहायक कर्मचारी
2	वर्गीकरण	समूह सी
3	वेतन वैन्ड एवं ग्रेड वेतन	रूपया 5200—20200 (पी०बी०—2) एवं जी०पी० 1800 (लेवल—1)
4	सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र	18—27 वर्ष (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के नियमानुसार उपरी उम्र सीमा में एस0सी0/एस0टी0/ओ0वी0सी/पी0डब्लू0डी0/भुतपूर्व सैनिक को छूट दी जा सकती हैं) नोटः विश्वविद्यालय में काम करनेवाले व्यक्तियों के लिए या तो आकस्मिक श्रमिक या
		संविदाकर्मी को उम्र सीमा में छूट उस अवधि के लिए दिया जायगा जिसके लिए उसने विश्वविद्यालय की सेवा की है ।
5	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताए	 िकसी भी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक साईकिल चलाने का ज्ञान शारीरिक तौर पर सक्षम क्वालिफाईंग फिजीकल जॉच मनट में 5 किलोमीटर चलना एक धंटे के समय में (5×5 मीटर) अनुसंधान पलौट को तैयार करना ।
6	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र एवं शैक्षणिक योग्यताए क्या प्रोन्नित के लिए भी लागू होगा?	मान्य नहीं
7	परिक्षयमान अवधि, अगर कोई हो	02 साल
8	नियुक्ति की पद्धति, सीधी नियुक्ति या प्रोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समायोजन के द्वारा एवं विभिन्न तरीकों से भरने के लिए पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती शैक्षणिक 0.25× हाई स्कुल (अंक औसत में)+ 10 अंक +2 योग्यता के लिए (अधिकतम 25 अंक)+ 3 अंक प्रत्येक पूर्ण साल का अनुभव अधिकतम 25 अंक । लिखित 1 अंकगणित जॉच 100 2. सामान्य ज्ञाान 50 3. भाषा (हिन्दी / अंगेजी) 100 भारत सरकार के निदेशानुसार अन्तरवीक्षा नहीं ली जायगी अन्तिम कुल योग 300 (50+100+50+100) के आधार पर चयन किया जायगा
		पाठ्यक्रम मैट्रिक स्तर का होगा ।
9	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन किया जाना है	मान्य नही
10	सीधी नियुक्ति के लिए चयन समिति का गटन	नियुक्ति नियमावली (गैर–शिक्षकेत्ता कर्मीचारी), 2016 के परिशिष्ट–1 के अनुसार

अतः अब डाँ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय परिनियम की घारा 39 में प्रदत शक्तियों तथा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से उनका उपयोग करते हुए मैं, डाँ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा का कुलपति, प्रथम अध्यादेश सेवा एवं नियुक्ति नियमावली (गैर– शिक्षक कर्मचारी), 2017 में उपरोक्त को प्रविध्टि के लिए अधिसूचित करता हूँ ।

आर. सी. श्रीवास्तव, कुलपति

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agricultural Research and Education)

(DR. RAJENDRA PRASAD CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY)

ORDINANCE

Pusa, the 3rd November, 2018

(Amendment in first Ordinance issued vide Notification No. 82 dated 15.9.2017)

No. 81/DRPCAU (VC).—Whereas the Government of India in the Department of Agricultural Research and Education on the basis of resolution passed in the 5th meeting of the Board of Management of the University held on 12.09.2018 has approved insertion of the following clauses in the first Ordinance issued vide No. 82 dated 15.9.2017 (Service & Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2017) in the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa vide F.No. 5-50/2017-CAU dated October 29, 2018 as under:

Clause No.	Before amendment	After amendment								
To be	Not provided in	After merger and reallocation the following shall be the positions of administrative, financial and Stenographer								
inserted as the Recruitment cadres of the University:					•	· ·	1			
Clause No.	Rules	Administrat				•				
15 (0)		LDC	UDC	Assista	nt Section Officer	*Assistant	*Deputy	Total		
						Registrar	Registrar			
		128	103	80	15	05	04	335		
		Financial	Financial							
		Jr. Acco-	Sr. Acco-	Accoun	- Audit Officer/	Assistant	Deputy			
		unts	unts	Tant	Section Officer	Comptro-	Comptro-			
		Clerk	Clerk			ller	ller			
		18	13	13	01+04	13	02	64		
		Stenograph	er							
		Jr.	Personal	Private	Secretary to					
	Not provided in	Steno-	Assistant	Secreta	ry VC					
		grapher								
		30	25	02	01			58		
To be added		is the admin posts of Ass Director Adi Registrar wit The followir	istrative head. istant Registra ministration and th total position of shall be ins	According resulting Dy. Direns of 4. A	oes not have any role in 1919 2 posts of Assistant 2 a total strength of 5 poetor Administration is null these Posts carry same e Service & Recruitmen	Director Admini ost of Assistant R nerged with the e work and scale.	stration are merg egistrar. Simila xisting 2 sanctio	ged with exisurly, 1 post earned post of D	sting ach Depu	
under	the Recruitment	caption Pron		1	E' '10 1	La	1 0 1		_	
caption Promotion	Rules	Administra	vision Clerk		Financial Cadre Junior Account Clerk		ographer Cadre nior Stenograph	107	-	
Tomotion			5200-20200		Pay scale 5200-20200		scale 5200-2020			
			Pay Matrix 2)		GP 2400 (Pay Matrix 4		2400 (Pay Matrix			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	of Posts-128		(No. of Posts-18)		(No. of Posts-30)			
			ision Clerk		Senior Account Clerk		onal Assistant			
			200-20200		Pay scale 5200-20200		scale 9300-3480			
		(No. of Pos	Pay Matrix 4) sts 103)		GP 2800(Pay Matrix 5) (No. of Posts 13)		600 (Pay Matrix o. of Posts 25)	(/)		
		Assistant Pay and 2000 24800			Accountant Pay scale 0200 24800		Private Secretary*		1	
		Pay scale 9300-34800 GP 4200 (Pay Matrix 6)			Pay scale 9300-34800 GP 4200(Pay Matrix 6)		Pay Scale 9300-34800 GP 4800 (Pay Matrix 8)			
		(No. of Posts-80)			(No. of Posts-13)		after four years (pay band-3			
			,		,		5600-39100 +G			
							Matrix 10)			
							o. of Posts-02)		_	
		Section Of			Audit officer (1 post)/		Secretary to VC			
	1	Pay scale	9300-34800		Section Officer (4 post) Pay	Scale 15600-391	.UU		
		GP 4800 (1	Pay Matrix 8)		Pay scale 9300-34800	GD 6	6600(Pay Matrix	11)	- 1	

1.0. 0	GD 1000 (D 31 1 1)	(1) (1)
After four years (pay	GP 4800 (Pay Matrix 8)	(No. of Posts-01)
Band-3) Rs 15600-39100 +GP 540	After four years (pay	
Matrix 10)	Band-3) Rs 15600-39100 +GP GP	
(No. of posts -15)	(Pay Matrix 10)	
	(No. of Posts-05)	
Assistant Registrar	Assistant Comptroller	
Pay scale 15600-39100	Pay Scale 15600-39100 GP	
GP 5400 (Pay Matrix 10)	5400(Pay Matrix10)	
After 8 years GP 6600	After 8 years GP 6600	
(Pay matrix- 11)	(Pay matrix 11)	
(No. of Posts-05)	(No. of posts-13)	
Deputy Registrar**	Deputy Comptroller**	
Pay scale 15600-39100 GP 7600	Pay Scale 15600-39100 GP7600	
(Pay Matrix 12)	(Pay Matrix 12 (No.	
(No. of Posts-04)	of Posts-02)	
*Th	D 15(00 20100 (DD 2) .5400 C	90 1 11 1 1 1 11 4 41 1

*The non-functional pay scale of Rs. 15600-39100 (PB-3) +5400 GP shall be admissible to the regular Private Secretaries of the service on completion of four years of approved service in that grade. The Private Secretaries who are granted the non-functional pay scale would continue to remain in Group 'B' (Gazetted) and their eligibility for promotion to Principal Private Secretary (Secretary to VC) grade of the service shall be reckoned on the basis of total period, spent in both the scales of Private Secretary, counted together.

- **The Assistant Registrar and Assistant Comptroller will move to GP 6600/- after
- 8 years of service and therefore grade of Deputy Registrar and Deputy Comptroller is GP 7600/-
 - The University shall maintain a single seniority for the similar type of employees posted in the University headquarters as well as in its units.
 - New recruitment on the post of Assistant shall be made in the Grade pay of Rs.4200/- instead of Grade pay of 4600/-

S. No.	onal avenues of Admir Name of the	Mode of Recruitment
	Post	
1	LDC	(i) 85% of the vacancy by direct recruitment through open competitive
	(RR already	examination conducted by the University.
	Approved)	(ii) 10% of the vacancies shall be filled from amongst the Group 'C'
	TT · · · · · · · ·	staff in the grade pay of Rs. 1800 who possess the requisite
		qualification and have rendered 3 years regular service in the grade
		on the basis of departmental qualifying examination.
		(iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority cum-fitness from
		Group 'C' employees who have three years regular service in the
		Grade Pay of Rs. 1800. Persons so promoted will be required to
		qualify in a typing test to the extent indicated in Recruitment Rules
		of the University within a period of one year from the date of their
		appointment as LDC failing which no increment shall be allowed
		until he/she has passed the test.
2	UDC	100% by promotion from the Lower Division Clerk having at
		least 8 years regular service in the grade on the
		recommendations of the Departmental Promotion Committee
3	Assistant	(i) 50% by promotion from the UDCs having at least 10 years regular
3	(RR already	service in the grade on the recommendations of the Departmental
	Approved)	Promotion Committee.
	ripproved)	(ii) 25% by Limited Departmental Competitive Examination confined
		to the UDCs of the University who have completed 6 years regular
		service in the grade.
		(iii) 25% by direct recruitment on the basis of open competitive
		examinations to be conducted by the University.
4	Section Officer	(i) 50% by promotion from amongst the Assistant having at least 6
		years regular service in the grade.
		(ii) 50% by way of Limited Departmental Competitive Examination
		confined to Assistants, Personal Assistants having not less than five
_	 	years regular service in the Grades
5	Assistant Registrar/	(i) 50% by promotion from amongst the Section Officer on the basis of
		seniority and suitability of the post having at least 6 years of
		regular service in the grade on the recommendation of DPC.
		(ii) 25% by deputation
6	Assistant	 (iii) 25% by direct recruitment (i) 50% by promotion from amongst the Section Officer of financial
U	Comptroller	 50% by promotion from amongst the Section Officer of financial cadre on the basis of seniority and suitability of the post having at
	Computation	least 6 years of regular service in the grade on the
		recommendation of DPC.
		(ii) 25% by deputation
		(iii) 25% by direct recruitment
7	Deputy Registrar	(i) 50% by promotion on the basis of merit with due regard to
	Pat J 108 10 1 til	seniority from amongst Assistant Registrar who have rendered
		not less than 6 years of regular service in the grade.
		(ii) 50% by deputation of officers under the Central or State
		Government/Universities or Union territories/Direct

				n :
		0	D . C . "	Recruitment.
		8	Deputy Comptroller	seniority from amongst Assistant Comptroller who have rendered not less than 6 years of regular service in the grade.
				(ii) 50% by deputation of officers under the Central or State
				Government/Universities or Union territories/Direct Recruitment.
		9	Jr. Stenographer	100% by direct recruitment through open competitive examination
			(RR already Approved)	conducted by the University
		10	Personal Assistant	100% by promotion of Junior Stenographer in the GP of Rs. 2400/-having completed at least 10 years of regular service in the grade.
		11	Private Secretary	100% by promotion of Personal Assistants in the PB-2, Rs.
				9300-34800 with GP 4600/- having at least six years of regular
		12	G	service in the grade on the recommendation of DPC
		12	Secretary to VC	100% by promotion on the basis of seniority from amongst Private Secretaries in the pay band-3 Rs. 15600-39100 + GP
				5400 who have rendered not less than 6 years of regular service
				in the grade.
		13	Junior Accounts	100% by direct recruitment on the basis of open competitive
			Clerk	examinations to be conducted by the University.
		14	Senior Accounts	100% by promotion from amongst the Junior Accounts Clerk
			Clerk	having at least 5 years regular service in the grade.
		15	Accountant (RR already approved)	(i) 50% by promotion from the Senior Accounts Clerk having at least 10 years regular service in the grade on the recommendations of the Departmental Promotion Committee. (ii) 25% by Limited Departmental Competitive Examination
				confined to the Senior Accounts Clerk of the University who have completed 6 years regular service in the grade. (iii) 25% by direct recruitment on the basis of open competitive examinations to be conducted by the University
		16	Audit Officer	100% by promotion on the basis of merit with due regard to seniority from amongst the Accountant who have rendered not less than 6 years of regular service in the grade.
		presently		se posts have been prepared as per rules prevalent in the DoPT. However, iditional financial liability as all of them are in higher grade due to
Appendix-I Schedule	Posts of which recruitment rules have already	To be appr	oved for adding in App	pendix-I Schedule as sl. No. 7 to 12
	been approved 1.Assistant	7. Registra	r	
	2.Accountant	8. Comptro		
	3.Junior Auditor	9. Deputy Comptroller, Audit and Accounts		
	4.Divisional	10. Assistant Comptroller		
	Accountant	11. Deputy Registrar		
	5.Jr.		nt Registrar	
	Stenographer 6.Lower		Accounts Clerk Sporting staff	
	Division Clerk		ecruitment Rules are en	closed below
		,		

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF REGISTRAR

1	Name of Post	Registrar
2	Classification	Group 'A'
3	Pay Band & Grade Pay	Pay Scale: Level 14 of 7 th CPC
4	Age Limit for direct recruits	The candidates must not have attained the age of 58 years as on the closing date of the application.
5	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualification i) Doctorate degree in any branch of Agricultural /Horticultural/Animal Sciences/ Basic Science/ Community science/Agricultural Engineering from a recognized University. ii) A minimum of 15 years of experience in teaching/ research of which at least 5 years should be as Professor/ Principal Scientist in the pay band-4 of Rs 37400- 67000 with grade pay of Rs 10000/- iii) Outstanding contributions in teaching/research as evidenced by published

			papers in professional National/ International journals of repute/ books etc.
			Desirable:
			i) Administrative experience as Head of Department of University/ Head of
			Division/ Regional Station of an ICAR institute.
			ii) Familiarity with latest advances in agricultural education/research.
			Other terms and conditions
			0 11 11 11 11
			(a) The tenure will be five years and incumbent will be eligible for reappointment.
			The tenure can be curtailed by Board of Management in view of gross
			misconduct/dereliction of duty.
			(b) The incumbent will superannuate on attaining 60 years age.
	6	Whether age and educational qualifications prescribed	N. A.
		for direct recruits will apply in the case of promotes	
		for direct rectains will apply in the case of promotes	
	7	Period of probation, if any	Two years
-		1 , 3	,
	8	Method of recruitment: whether by direct recruitment or	Direct Recruitment
		by promotion or by deputation / absorption and	
		percentage of the posts to be filled by various methods.	
-	_	In case of recruitment by promotion/ deputation/	
	9	absorption, grades from which promotion/ deputation/	N.A.
-		absorption to be made	
1	10	Composition of Selection Committee for direct	As per clause 18(2) of the First Statutes of the University.
		recruitment	
1			

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF COMPTROLLER

1	Name of Post	Comptroller
2	Classification	Group 'A'
3	Pay Band & Grade Pay	Pay Scale: Level 12 of 7 th CPC
4	Age Limit for direct recruits	The candidates must not have attained the age of 58 years as on the closing date of the application.
5	Educational and other qualifications required for direct recruits	1. Master's Degree in any discipline with at least 55% of the marks or its equivalent grade of B in UGC seven- point scale. 2. A minimum of 15 years of appropriate experience of financial management of which 3 years as Deputy Comptroller/ Deputy Finance Officer or an equivalent post of a University/ affiliated College/ Public Sector Undertaking/ Autonomous Organization/ Multinational Organization /Government. OR with an overall service of 15 years including 10 years in post of Assistant Finance Officer/ Assistant Comptroller. Other terms and conditions (a)The tenure will be five years and incumbent will be eligible for reappointment. However, tenure can be curtailed by Board of Management in view of gross misconduct/dereliction of duty. (b) The incumbent will superannuate on attaining 60 years age.
6	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	N. A.
7	Period of probation, if any	Two years
8	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	Direct Recruitment
9	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	The Comptroller may be appointed on deputation for a specific period not exceeding five years In case of a person being appointed as Comptroller on deputation, his tenure, emoluments and other terms of service shall be according to the standard of deputation.
10	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per clause 18(2) of the First Statutes of the University.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DEPUTY COMPTROLLER, AUDIT AND ACCOUNTS

1	Name of Post	Deputy Comptroller, Audit and Accounts
2	Classification	Group 'A'
3	Pay Band & Grade Pay	Rs. Rs.15600-39100 (Grade Pay Rs.7,600/-) (Pay Matrix 12)
4	Age Limit for direct recruits	Preferably below 50 years (Relaxable as per DoPT Rules)
5	Educational and other qualifications required for direct recruits	(i) Minimum Qualifications: a. Master's Degree with at least 55% of the marks or its equivalent grade of B in the UGC seven-point scale from a recognized University/Institution.
		(ii) Nine years of experience in educational administration in a recognized Deemed University/University. OR
		Comparable experience in research establishment and / or other institutions of higher education. OR
		5 years of administrative experience as Assistant Comptroller/Assistant Finance Officer or in an equivalent post.
		Desirable
		(i) Relevant administrative experience in an office in academic/examinations/Finance & Accounts/ procurement/Audit/Budget in Central/State Govt. /Public Sector Undertakings.
		(ii) Knowledge of Information & Communication.
6	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Not Applicable
7	Period of probation, if any	02 Years
8	Method of recruitment: whether by direct recruitment or	50% by promotion and 50% by Deputation/Direct Recruitment.
	by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	Academic Score – 100 marks
		Interview – 100 marks
9	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	Promotion From Assistant Comptroller or equivalent with minimum 6 years of regular service in the category of Assistant Comptroller. Deputation A person having analogues post on regular basis or at least six years experience as
		Assistant Comptroller/Assistant Finance Officer or equivalent in the pay band of Rs. 15600-39100 with GP of Rs. 5400/6600
10	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2016 – Appendix-1

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSISTANT COMPTROLLER

1	Name of Post	Assistant Comptroller
2	Classification	Group 'A'
3	Pay Band & Grade Pay	Rs. Rs.15600-39100 (Grade Pay Rs.5400/-) (Pay Matrix 10) After completing 8 years of service in this pay band he will move to the grade pay of 6600 within the same pay band but continue to be designated as Assistant Registrar.
4	Age Limit for direct recruits	Not more than 40 years (Relaxable as per DoPT Rules)
5	Educational and other qualifications required for direct recruits	 (i) A Master's degree from a recognized University with at least 55% of the marks or its equivalent grade of B in the UGC seven point scale. (ii) At least three years of relevant administrative experience in an office in Finance & Accounts/procurement/Audit/Budget/Human Resource
		Management in Central/State Govt. /Public Sector Undertakings. Desirable Good knowledge of Information & Communication.
6	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion	Promotion: -No
7	Period of probation, if any	02 Years for direct recruitment
8	Method of recruitment: whether by direct recruitment or	50% by promotion, 25% by Deputation and 25% by Direct Recruitment.
	by promotion or by deputation / absorption and	Marks of Academic Qualification
	percentage of the posts to be filled by various methods.	0.10 x High School (Marks in percent) + 0.15 x 10+2 Marks (Marks in percent) + 0.25 x Graduate Marks (Marks in percent) + 10 Marks for PG degree (max. 50 marks) + 5 x no. of years of experience in Govt./ Quasi Govt./PSU (Max. 25).
		(Total - 75 Marks.) Written Examination

9	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	G. K 50 Language - 100 Subject Matter - 100 Interview - 100 Marks Total Score - 25% of Academic score + 50% of Written + 25% interview. Promotion:- From Section Officer or equivalent with at least six years of regular service in the category of Section Officer. Deputation: A person having analogues post on regular basis or at least six years experience as Section Officer or equivalent in the pay band of Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4800 in central/State Govt. or PSUs
10	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2016 – Appendix-1

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DEPUTY REGISTRAR

1	Name of Post	Deputy Registrar
2	Classification	Group 'A'
3	Pay Band & Grade Pay	Rs. Rs.15600-39100 (Grade Pay Rs.7,600/-) (Pay Matrix 12)
4	Age Limit for direct recruits	Preferably below 50 years (Relaxable as per DoPT Rules)
5	Educational and other qualifications required for direct recruits	Minimum Qualifications: a. Master's Degree with at least 55% of the marks or its equivalent grade of B in the UGC seven-point scale from a recognized University/Institution.
		b. Nine years of experience in educational administration in a recognized Deemed University/University OR
		Comparable experience in research establishment and / or other institutions of higher education. OR
		5 years of administrative experience as Assistant Registrar or in an equivalent post. Desirable – Degree in Agriculture and knowledge of Computer.
6	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Not Applicable
7	Period of probation, if any	02 Years
8	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	50% by promotion and 50% by Deputation/Direct Recruitment. Academic Score – 100 marks Interview – 100 marks
9	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	Promotion from Assistant Registrar with minimum 3 years experience or deputation from analogous posts/Under Secretary post in the grade pay of Rs. 6600/- having experience for a minimum period of three years.
10	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per Section 18(1 &2) of the Schedule of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016 and as amended from time to time.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSISTANT REGISTRAR

1	Name of Post	Assistant Registrar
2	Classification	Group 'A'
3	Pay Band & Grade Pay	Rs. Rs.15600-39100 (Grade Pay Rs.5400/-) (Pay Matrix 10) After completing 8 years of service in this pay band he will move to the grade pay of 6600 within the same pay band but continue to be designated as Assistant Registrar.
4	Age Limit for direct recruits	Not more than 40 years (Relaxable as per DoPT Rules)
5	Educational and other qualifications required for direct recruits	 A Master's degree from a recognized University with at least 55% of the marks or its equivalent grade of B in the UGC seven point scale. At least three years of relevant administrative experience in an office in academic/examinations/Finance & Accounts/ procurement/Human Resource Management in Central/State Govt. /Public Sector Undertakings. Desirable Good knowledge of Information & Communication.
6	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Promotion: Age-No
7	Period of probation, if any	02 Years for direct recruitment
8	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and	50% by promotion, 25% by Deputation and 25% by Direct Recruitment. Marks of Academic Qualification

	percentage of the posts to be filled by various methods.	0.10 x High School (Marks in percent) + 0.15 x 10+2 Marks (Marks in percent) + 0.25 x Graduate Marks (Marks in percent) + 10 Marks for PG degree (max. 50 marks) + 5 x no. of years of experience in Govt./ Quasi Govt./PSU (Max. 25). (Total - 75 Marks.)
		Written Examination G. K 50 Language - 100 Subject Matter - 100 Interview - 100 Marks Total Score - 25% of Academic score + 50% of Written + 25% interview.
9	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	Promotion:- From Section Officer or equivalent with at least six years of regular service in the category of Section Officer. Deputation: A person having analogues post on regular basis or at least six years experience as Section Officer or equivalent in the pay band of Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4800 in central/State Govt. or PSUs
10	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2016 – Appendix-1

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF JUNIOR ACCOUNTS CLERK

1	Name of Post	Junior Accounts Clerk
2	Classification	Group 'B'
3	Pay Band & Grade Pay	Rs. 5,200-20,200 + Grade Pay Rs. 2400/- (Pay matrix-4)
4	Age Limit for direct recruits	30 years (Relaxable as per DoPT Rules)
5	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: i. Intermediate from any University ii. Knowledge of Computer Application.
6	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	No
7	Period of probation, if any	Two years
8	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	100% by direct recruitment Written: 1. Aptitude test - 100 2. General Knowledge - 50 3. Language (Hindi/English) - 100 4. Computer Proficiency Test (Qualifying) - The candidate must obtain at least 50% marks in qualifying test. No interview as per Government of India direction. Selection will be made on grand total marks in 250 (100 + 50 + 100). Syllabus will be of Intermediate level.
9	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	Deputation: Officers holding analogous posts on regular basis in the Central/ State Government, Universities and other autonomous organizations.
10	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2016 – Appendix-1

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF SSS

1	Name of Post	Skilled Supporting Staff
2	Classification	Group 'C'
3	Pay Band & Grade Pay	Rs. 5200-20200 (PB-1) + Grade Pay Rs. 1800/- (Pay matrix-1)
4		18 to 27 Years
		(Relaxation of upper age shall be allowed to SC/ST/OBC/PwD/Ex-serviceman as
		per order of the Govt. of India}
		Note-Age relaxation will be for persons who have worked in University either a
	Age Limit for direct recruits	casual labour or contractual worker for a period for which they had been engaged.
5	Educational and other qualifications required for direct	Essential:
	recruits	 Matriculation or equivalent from recognized Board
		ii. Knowledge of cycle driving.
		iii. Physically fit. (Qualifying physical test:
		(a) Walk for 5 KM in 30 minutes
		(b) Preparation of a research plot(5x5 m) in one hour

6	Whether age and educational qualifications prescribed	No
	for direct recruits will apply in the case of promotes	
	11 2	
7	Desired of contaction if con-	02
/	Period of probation, if any	02 years
8	Method of recruitment: whether by direct recruitment or	Direct recruitment
	by promotion or by deputation / absorption and	Academic
	* * * * *	0.25 x High School marks+10 marks for +2 qualification with maximum 25
	percentage of the posts to be filled by various methods.	marks)+ 3 marks for each completed year of experience with maximum of 25 marks.
		Written:
		1. Arithmetic test 100
		2. General Knowledge 50
		3. Language (Hindi) - 100
		No interview as per Government of India direction.
		Selection will be made on grand total marks on grand total marks in $300 (50+100+50+100)$.
		Syllabus will be of Metric level.
9	In case of recruitment by promotion/ deputation/	Not applicable
	absorption, grades from which promotion/ deputation/	
	absorption to be made	
10	Composition of Selection Committee for direct	As per Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2016 – Appendix-1
	recruitment	

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the clause 39 of the First Statutes of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University and with the previous approval of the Central Government as aforesaid, I, the Vice-Chancellor of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa, do hereby notify the insertion in the First Ordinance (Service & Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2017) as above.

R. C. SRIVASTAVA, Vice-Chancellor [ADVT.-III/4/Exty./533/18]

अध्यादेश

पूसा, 11 जनवरी, 2019

(राजपत्र संख्या–81 दिनांक 15.09.2017 द्वरा निर्गत प्रथम अध्यादेश में प्रविष्टि)

सं. 112/अार.पी.सी.ए.यू.— चूंकि भारत सरकार, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के द्वारा प्रबंध परिषद् की दिनांक 12.9.2018 को हुई पाचवी बैठक में पारित प्रस्ताव के आलोक में पत्र एफ सं0–5–61/2018—सी०ए०यू दिनांक दिसम्बर 29, 2018 के द्वारा डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा द्वारा निर्गत गजट संख्या 81 दिनांक 15.09.2017 में प्रकाशित प्रथम अध्यादेश सेवा एवं नियुक्ति नियमावली (शिक्षक कर्मचारी), 2017 परिशिष्ट-2 के अनुसूची में निम्ननिखित वैधाानिक पदों के भर्ती नियमावली को प्रविष्टि करने के लिए अनुमित प्रदान किया गया है।

धारा संख्या	संशोधन से पहले	संशोधन के बाद
परिशिष्ट–2 अनुसूची	पद जिसका भर्ती नियमावली अनुमोदित किया जा चुका है ।	निम्नलिखित वैधाानिक पदो ंके भर्ती नियमावली परिशिष्ट–2 अनुसूची में प्रविष्टि किया जाना है
	 निदेशक, ईख अनुसंघान संस्थान निदेशक, छात्र कल्याण 	 अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय / अधिष्ठाता स्नातकोत्तर कृषि महाविद्यालय अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय
	3. प्राध्यापक 4. सह प्राध्यापक	3. अधिष्ठाता, कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय 4. अधिष्ठाता, आधार विज्ञान एवं मानवीकी महाविद्यालय
	 सहायक प्राध्यापक 	5. अधिष्ठाता, उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय
		6. अधिष्ठाता, मत्स्यकी महाविद्यालय 7. अधिष्ठाता, सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय
		8. निदेशक, कृषि व्यवसाय एवं ग्रामीण प्रबन्धन विद्यालय 9. निदेशक, शिक्षा

10. निदेशक, प्रसार शिक्षा
11. निदेशक, अनुसंधान
12. विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष
उपरोक्त पदों का भर्ती नियमावली परिशिष्ट-1 पर संलग्न है

अतः अब डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय परिनियम की घारा 39 में प्रदत शक्तियों तथा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से उनका उपयोग करते हुए मैं डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा का कुलपति, प्रथम अध्यादेश सेवा एवं नियुक्ति नियमावली (शिक्षक कर्मचारी), 2017 परिशिष्ट—2 के अनुसूची में उपरोक्त वैधानिक पदों के भर्ती नियमावली प्रविष्टि के लिए अधिसूचित करता हूँ ।

आर. सी. श्रीवास्तव, कुलपति

[विज्ञापन-/III/4/असा./533/18]

नोट: किसी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।

अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय/अधिष्ठाता स्नातकोत्तर कृषि महाविद्यालय पद के लिए भर्ती नियमावली ।

1	पद का नाम	अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय / अधिष्ठाता स्नातकोत्तर कृषि महाविद्यालय
1	वर्गीकरण	
2		समुह ए
3	वेतन वैन्ड एवं ग्रेड वेतन	वेतनमानः लेवल १४ ७वी सी०पी०सी०
4	सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र	आवेदन की अंतिम तिथि को उम्मीदवार 63 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किए हों ।
5	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं	अनिवार्य अर्हता (i) कृषि विज्ञान के किसी भी शाखा में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डाक्टेरेट की उपाधि । (ii) कम से कम 15 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान/ प्रसार शिक्षा का अनुभव जिसमें कम से कम 5 वर्ष प्राध्यापक/प्रधान वैज्ञानिक पे बैंड-4 रूपया 37400-67000 एवं ग्रेड पे 10000:-रूपया में होना चाहिए । (iii) शिक्षण/अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान, जो ख्यातिप्राप्त पेशेवर राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेखों/पुस्तकों आदि में प्रकाशित आलेखों द्वारा स्पष्ट होता हो । गांछित (i) विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष/प्रभाग के प्रमुख/आई०सी०ए०आर के क्षेत्रीय केन्द्रों के अध्यक्ष के रूप में प्रशासनिक अनुभव । (ii) कृषि शिक्षा/अनुसंधान में नवीनतम प्रगति से घनिष्ट परिचय । अन्य शर्त्त एवं बंधेज (a) कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा और पदग्राही पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा । कार्यकाल को कर्तव्य के घोर दुराचार/अपमान के मद्देनजर प्रबंध बोर्ड द्वारा रोका जा सकता है । (b) ये बिना किराया के असज्जित अवासीय निवास के हकदार होंगे (c) पदग्राही 65 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत होंगे ।
	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र एवं शैक्षणिक योग्यताएं क्या प्रोन्नित के लिए भी लागू होगा?	मान्य नहीं
7	परिक्षयमान अवधि, अगर कोई हो	02 साल
8	नियुक्ति की पद्धति, सीधी नियुक्ति या प्रोन्नित के द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समायोजन के द्वारा एवं विभिन्न तरीकों से भरने के लिए पदों की प्रतिशत	ए०एस०आर०बी द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान के निदेशक के पद के लिए उपयोग किए जाने वाले स्कोर कार्ड का उपयोग स्क्रीनिंग के लिए किया जायगा । प्राप्त शैक्षणिक स्कोर को 60 प्रतिशत महत्व और साक्षात्कार को 40 प्रतिशत महत्व दिया जायगा ।

9	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा	मान्य नहीं
	भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे पदोन्नति/	
	प्रतिनियुक्ति / समायोजन किया जाना है	
10	सीधी नियुक्ति के लिए चयन समिति का	विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम के धारा 18 (2) के अनुसार ।
	गढन	

अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय पद के लिए भर्ती नियमावली ।

1	पद का नाम	अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय
2	वर्गीकरण	समुह ए
3	वेतन वैन्ड एवं ग्रेड वेतन	वेतनमानः लेवल 14 7वी सी0पी0सी0
4	सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र	आवेदन की अंतिम तिथि को उम्मीदवार 63 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किए हों ।
5	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य	अनिवार्य अर्हता
	योग्यताएं	(i) पशुचिकित्सा विज्ञान/पशुचिकित्सा या पशुपालन/दुग्ध विज्ञान/दुग्घ तकनीकी/ मत्स्यकी के किसी भी शाखा में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डाक्टेरेट की उपाधि
		(ii) कम से कम 15 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान प्रसार शिक्षा का अनुभव जिसमें कम से कम 5 वर्ष प्राध्यापक/प्रधान वैज्ञानिक पे बैंड–4 रूपया 37400–67000 एवं ग्रेड पे 10000:—रूपया में होना चाहिए ।
		(iii) शिक्षण/अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान, जो ख्यातिप्राप्त पेशेवर राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेखों/पुस्तकों आदि में प्रकाशित आलेखों द्वारा स्पष्ट होता हो ।
		वांछित
		(i) विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष / प्रभाग के प्रमुख / आई०सी०ए०आर के क्षेत्रीय केन्द्रों के अध्यक्ष के रूप में प्रशासनिक अनुभव
		(ii) पशु विज्ञान शिक्षण/अनुसंधान में नवीनतम प्रगति से उत्कृष्ट घनिष्ट परिचय ।
		अन्य शर्त्ते एवं बंधेज
		(a) कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा और पदग्राही पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा । कार्यकाल को कर्तव्य के घोर दुराचार/अपमान के मद्देनजर प्रबंध बोर्ड द्वारा रोका जा सकता है ।
		(b) ये बिना किराया के असज्जित अवासीय निवास के हकदार होंगे
		(c) पदग्राही 65 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत होंगे ।
	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र एवं	मान्य नहीं
	शैक्षणिक योग्यताएं क्या प्रोन्नति के लिए भी लागू होगा?	भाष भव
7	परिक्षयमान अवधि, अगर कोई हो	02 साल
8	नियुक्ति की पद्धति, सीधी नियुक्ति या प्रोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन के द्वारा एवं विभिन्न तरीकों से भरने के लिए पदों की प्रतिशत	ए०एस०आर०बी द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान के निदेशक के पद के लिए उपयोग किए जाने वाले स्कोर कार्ड का उपयोग स्क्रीनिंग के लिए किया जायगा प्राप्त शैक्षणिक स्कोर को 60 प्रतिशत महत्व और साक्षात्कार को 40 प्रतिशत महत्व दिया जायगा ।
9	पदोन्नित / प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे पदोन्नित / प्रतिनियुक्ति / समायोजन किया जाना है	मान्य नहीं
10	सीधी नियुक्ति के लिए चयन समिति का गढन	विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम के धारा 18 (2) के अनुसार ।

अधिष्ठाता, कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय पद के लिए भर्ती नियमावली ।

1	पद का नाम	अधिष्ठाता, कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय
2	वर्गीकरण	
-	वेतन वैन्ड एवं ग्रेड वेतन	समुह ए वेतनमानः लेवल 14 7वी सी०पी०सी०
3		
4	सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र	आवेदन की अंतिम तिथि को उम्मीदवार 63 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किए हों ।
5	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं	अनिवार्य अर्हता (i) कृषि अभियन्त्रण या प्रसांगिक अभियन्त्रण के किसी भी शाखा में आई० आई० टी०, एन० आई० टी०, केन्द्रीय / राज्य या कोई प्राख्यात राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय या केन्द्रीय विश्वविद्यालय जहाँ कृषि संकाय है से डाक्टेरेट की उपाधि (ii) कम से कम 15 वर्षों का शिक्षण / अनुसंधान प्रसार शिक्षा का अनुभव जिसमें कम से कम 5 वर्ष प्राध्यापक / प्रधान वैज्ञानिक पे बैंड-4 रूपया 37400-67000 एवं ग्रेड पे 10000:-रूपया में होना चाहिए । (iii) शिक्षण / अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान, जो ख्यातिप्राप्त पेशेवर राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेखों / पुस्तकों आदि में प्रकाशित आलेखों द्वारा स्पष्ट होता हो । गिष्टित (i) विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष / प्रभाग के प्रमुख / आई०सी०ए०आर के क्षेत्रीय केन्द्रों के अध्यक्ष के रूप में प्रशासनिक अनुभव । (ii) कृषि अभियन्त्रण शिक्षण / अनुसंधान में नवीनतम प्रगति के विषय धनिष्ट परिचय । अन्य शर्ते एवं बंधेज (a) कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा और पदग्राही पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा । कार्यकाल को कर्तव्य के घोर दुराचार / अपमान के मददेनजर प्रबंध बोर्ड द्वारा रोका जा सकता है । (b) ये बिना किराया के असज्जित अवासीय निवास के हकदार होंगे । (c) पदग्राही 65 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत होंगे ।
	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र एवं शैक्षणिक योग्यताए क्या प्रोन्नित के लिए भी लागू होगा?	मान्य नहीं
7	परिक्ष्यमान अवधि, अगर कोई हो	02 साल
8	नियुक्ति की पद्धति, सीधी नियुक्ति या प्रोन्नित के द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन के द्वारा एवं विभिन्न तरीकों से भरने के लिए पदों का प्रतिशत	लिए उपयोग किए जाने वाले स्कोर कार्ड का उपयोग स्क्रीनिंग के लिए किया जायगा । प्राप्त शैक्षणिक स्कोर को 60 प्रतिशत महत्व और साक्षात्कार को 40 प्रतिशत महत्व दिया जायगा ।
9	पदोन्नित / प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे पदोन्नित / प्रतिनियुक्ति / समायोजन किया जाना है	मान्य नहीं
10	सीधी नियुक्ति के लिए चयन समिति का गढन	विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम के धारा 18 (2) के अनुसार ।

अधिष्ठाता, आधार विज्ञान एवं मानवीकी महाविद्यालय पद के लिए भर्ती नियमावली ।

1	पद का नाम	अधिष्ठाता, आधार विज्ञान एवं मानवीकी महाविद्यालय
2	वर्गीकरण	समुह ए
3	वेतन वैन्ड एवं ग्रेड वेतन	वेतनमानः लेवल 14 7वी सी0पी0सी0
4	सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र	आवेदन की अंतिम तिथि को उम्मीदवार 63 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किए हों ।

5	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य	अनिवार्य अर्हता
	योग्यताएं	(i) कृषि / आधार विज्ञान या मानवीकी के किसी भी शाखा में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय
	71 7(11)	से डाक्टरेट की उपाधि
		(ii) कम से कम 15 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान प्रसार शिक्षा का अनुभव जिसमें कम से
		कम ५ वर्ष प्राध्यापक / प्रधान वैज्ञानिक पे बैंड-4 रूपया ३७४००-६७०० एवं ग्रेड पे
		10000:—रूपया में होना चाहिए ।
		(iii) शिक्षण/अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान, जो ख्यातिप्राप्त पेशेवर
		राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेखों/पुस्तकों आदि में प्रकाशित आलेखों
		द्वारा स्पष्ट होता हो ।
		वांछित
		(i) विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष / प्रभाग के प्रमुख / आई०सी०ए०आर के क्षेत्रीय केन्द्रों के
		अध्यक्ष के रूप में प्रशासनिक अनुभव ।
		(ii) कृषि/आधार विज्ञान/ह्युमनिटिज के शिक्षण/अनुसंधान में नवीनतम प्रगति के
		विषय में घनिष्ट परिचय ।
		अन्य शर्त्ते एवं बंधेज
		(a) कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा और पदग्राही पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
		कार्यकाल को कर्तव्य के घोर दुराचार/अपमान के मद्देनजर प्रबंध बोर्ड द्वारा रोका जा
		सकता है ।
		(b) ये बिना किराया के असज्जित अवासीय निवास के हकदार होंगे ।
		(c) पदग्राही 65 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत होंगे ।
	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र एवं	मान्य नहीं
	शैक्षणिक योग्यताएं क्या प्रोन्नति के लिए भी	
	लागू होगा?	
7	परिक्षयमान अवधि, अगर कोई हो	02 साल
8	नियुक्ति की पद्धति, सीधी नियुक्ति या	ए०एस०आर०बी द्वारा भारतीय कृषि अनुसंघान परिषद के संस्थान के निदेशक के पद के
	प्रोन्नित के द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन	लिए उपयोग किए जाने वाले स्कोर कार्ड का उपयोग स्क्रीनिंग के लिए किया जायगा।
	के द्वारा एवं विभिन्न तरीकों से भरने के लिए	प्राप्त शैक्षणिक स्कोर को 60 प्रतिशत महत्व और साक्षात्कार को 40 प्रतिशत महत्व दिया
	पदों की प्रतिशत	जायगा ।
9	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे पदोन्नति /	मान्य नहीं
	प्रतिनियुक्ति / समायोजन किया जाना है	
40	सीधी नियुक्ति के लिए चयन समिति का	विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम के धारा 18 (2) के अनुसार ।
10	साधा नियुक्ति क ।लए चयन सामात का गढन	ापरपापचाराच पर प्रथम पारामयम पर वारा 18 (Z) पर अमुसार ।
	ויטוי	

अधिष्ठाता, उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय पद के लिए भर्ती नियमावली ।

1	पद का नाम	अधिष्ठाता, उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय
2	वर्गीकरण	समुह ए
3	वेतन वैन्ड एवं ग्रेड वेतन	वेतनमानः लेवल 14 7वीं सी0पी0सी0
4	सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र	आवेदन की अंतिम तिथि को उम्मीदवार 63 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किए हों ।
5	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य	अनिवार्य अर्हता
	योग्यताएं	(i) कृषि/उद्यान/वानिकी विज्ञान के किसी भी शाखा में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से
		डाक्टेरेंट की उपाधि
		(ii) कम से कम 15 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान प्रसार शिक्षा का अनुभव जिसमें कम से
		कम ५ वर्ष प्राध्यापक / प्रधान वैज्ञानिक पे बैंड-4 रूपया ३७४००-६७००० एवं ग्रेड पे
		10000:—रूपया में होना चाहिए ।
		(iii) शिक्षण/अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान, जो ख्यातिप्राप्त पेशेवर
		राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेखों/पुस्तकों आदि में प्रकाशित आलेखों
		द्वारा स्पष्ट होता हो ।

		वांछित (i) विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष / प्रभाग के प्रमुख / आई०सी०ए०आर के क्षेत्रीय केन्द्रों के अध्यक्ष के रूप में प्रशासनिक अनुभव । (ii) कृषि / उद्यान / वानिकी शिक्षण / अनुसंधान में नवीनतम प्रगति के विषय में घनिष्ट परिचय । अन्य शर्त्ते एवं बंधेज (a) कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा और पदग्राही पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा । कार्यकाल को कर्तव्य के घोर दुराचार / अपमान के मद्देनजर प्रबंध बोर्ड द्वारा रोका जा सकता है । (b) ये बिना किराया के असज्जित अवासीय निवास के हकदार होंगे । (c) पदग्राही 65 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत होंगे ।
	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र एवं शैक्षणिक योग्यताएं क्या प्रोन्नित के लिए भी लागू होगा?	मान्य नहीं
7	परिक्ष्यमान अवधि, अगर कोई हो	02 साल
8	नियुक्ति की पद्धति, सीधी नियुक्ति या प्रोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन के द्वारा एवं विभिन्न तरीकों से भरने के लिए पदों की प्रतिशत	ए०एस0आर0बी द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान के निदेशक के पद के लिए उपयोग किए जाने वाले स्कोर कार्ड का उपयोग स्क्रीनिंग के लिए किया जायगा । प्राप्त शैक्षणिक स्कोर को 60 प्रतिशत महत्व और साक्षात्कार को 40 प्रतिशत महत्व दिया जायगा ।
9	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिसपर पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/समायोजन किया जाना है	मान्य नहीं
10	सीधी नियुक्ति के लिए चयन समिति का गढन	विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम के धारा 18 (2) के अनुसार ।

अधिष्ठाता, मत्स्यकी महाविद्यालय पद के लिए भर्ती नियमावली ।

1	पद का नाम	अधिष्ठाता, मत्स्यकी महाविद्यालय
2	वर्गीकरण	समुह ए
3	वेतन वैन्ड एवं ग्रेड वेतन	वेतनमानः लेवल १४ ७वी सी०पी०सी०
4	सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र	आवेदन की अंतिम तिथि को उम्मीदवार 63 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किए हों ।
5	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य	अनिवार्य अर्हता
	योग्यताएं	(i) मत्स्य विज्ञान जैसे कि एक्वाकल्चर/मत्स्य संसाधन प्रबन्धन/मछली अनुवंशिकी एवं प्रजनन/मत्स्य पोषण/मत्स्य स्वास्थ्य/फीस पैथोलॉजी/फीस बायोटेक्नोलॉजी/फीस बायोठेक्मेस्ट्री एवं फिजिओलॉजी/एक्वेटिक इनवायरनमेंट मैनेजमेंट/फीस एवं फीसरीज विज्ञान के किसी भी शाखा में डाक्टेरेट की उपाधि (ii) कम से कम 15 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान प्रसार शिक्षा का अनुभव जिसमें कम से कम 5 वर्ष प्राध्यापक/प्रधान वैज्ञानिक पे बैंड–4 रूपया 37400–67000 एवं ग्रेड पे 10000/-रूपया में होना चाहिए । (iii) शिक्षण/अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान, जो ख्यातिप्राप्त पेशेवर राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेखों/पुस्तकों आदि में प्रकाशित आलेखों द्वारा स्पष्ट होता हो । वांष्ठित (i) विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष/प्रभाग के प्रमुख/आई0सी0ए0आर के क्षेत्रीय केन्द्रों के अध्यक्ष के रूप में प्रशासनिक अनुभव । (ii) मत्स्यकी शिक्षण/अनुसंधान में नवीनतम प्रगति के विषय में घनिष्ट परिचय।

		अन्य शर्त्ते एवं बंधेज
		(a) कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा और पदग्राही पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।
		कार्यकाल को कर्तव्य के घोर दुराचार/अपमान के मद्देनजर प्रबंध बोर्ड द्वारा रोका जा
		सकता है ।
		(b) ये बिना किराया के असज्जित अवासीय निवास के हकदार होंगे ।
		(c) पदग्राही 65 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत होंगे ।
6	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र एवं	मान्य नहीं
	शैक्षणिक योग्यताएं क्या प्रोन्नति के लिए भी	
	लागू होगा?	
7	परिक्षयमान अवधि, अगर कोई हो	02 साल
8	नियुक्ति की पद्धति, सीधी नियुक्ति या	
	प्रोन्निति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन	लिए उपयोग किए जाने वाले स्कोर कार्ड का उपयोग स्क्रीनिंग के लिए किया जायगा ।
	के द्वारा एवं विभिन्न तरीकों से भरने के लिए	प्राप्त शैक्षणिक स्कोर को 60 प्रतिशत महत्व और साक्षात्कार को 40 प्रतिशत महत्व दिया
	पदों की प्रतिशत	जायगा ।
9	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा	मान्य नहीं
	भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे पदोन्नति/	
	प्रतिनियुक्ति / समायोजन किया जाना है	
10	सीधी नियुक्ति के लिए चयन समिति का	विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम के धारा 18 (2) के अनुसार ।
	गढन	

अधिष्ठाता, सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय पद के लिए भर्ती नियमावली ।

1	पद का नाम	अधिष्ठाता, सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय
2	वर्गीकरण	समुह ए
3	वेतन वैन्ड एवं ग्रेड वेतन	वेतनमानः लेवल 14 7वी सी0पी0सी0
4	सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र	आवेदन की अंतिम तिथि को उम्मीदवार 63 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किए हों ।
5	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य	अनिवार्य अर्हता
	योग्यताएं	(i) सामुदायिक विज्ञान (गृह विज्ञान) जैसे फुड एवं न्युट्रिशन/हुयमन डेवलॉपमेंट एण्ड
		फेमली स्टिंडज / हुयमन रिसोर्स डेवलॉपमेंट / कलौदिंग एण्ड टेक्सटाइल / होम साईन्स
		एक्सटेंशन एडुकेशन के किसी भी शाखा में डाक्टेरेट की उपाधि
		(ii) कम से कम 15 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान प्रसार शिक्षा का अनुभव जिसमें कम से
		कम 5 वर्ष प्राध्यापक / प्रधान वैज्ञानिक पे बैंड-4 रूपया 37400-67000 एवं ग्रेड पे
		10000:—क्तपया में होना चाहिए ।
		(iii) शिक्षण/अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान, जो ख्यातिप्राप्त पेशेवर
		राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेखों/पुस्तकों आदि में प्रकाशित आलेखों
		द्वारा स्पष्ट होता हो ।
		वांछित
		(i) विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष / प्रभाग के प्रमुख / आई०सी०ए०आर के क्षेत्रीय केन्द्रों के
		अध्यक्ष के रूप में प्रशासनिक अनुभव ।
		(ii) सामुदायिक विज्ञान (गृह विज्ञान) के शिक्षण / अनुसंधान में नवीनतम प्रगति के विषय
		में घनिष्ट परिचय।
		अन्य शर्त्तो एवं बंधेज
		(a) कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा और पदग्राही पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
		कार्यकाल को कर्तव्य के घोर दुराचार/अपमान के मद्देनजर प्रबंध बोर्ड द्वारा रोका जा
		सकता है ।
		(b) ये बिना किराया के असज्जित अवासीय निवास के हकदार होंगे
		(c) पदग्राही 65 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत होंगे ।

	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र एवं	मान्य नहीं
	शैक्षणिक योग्यताएं क्या प्रोन्नति के लिए भी	
	लागू होगा?	
7	परिक्षयमान अवधि, अगर कोई हो	02 साल
8	नियुक्ति की पद्धति, सीधी नियुक्ति या	ए०एस०आर०बी द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान के निदेशक के पद के
	प्रोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन	
	के द्वारा एवं विभिन्न तरीकों से भरने के लिए	प्राप्त शैक्षणिक स्कोर को 60 प्रतिशत महत्व और साक्षात्कार को 40 प्रतिशत महत्व दिया
	पदों की प्रतिशत	जायगा ।
9	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा	मान्य नहीं
	भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे पदोन्नति/	
	प्रतिनियुक्ति / समायोजन किया जाना है	
10	सीधी नियुक्ति के लिए चयन समिति का	विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम के धारा 18 (2) के अनुसार ।
	गढन	

निदेशक, कृषि व्यवसाय एवं ग्रामीण प्रबन्धन विद्यालय पद के लिए भर्ती नियमावली ।

1	पद का नाम	निदेशक, कृषि व्यवसाय एवं ग्रामीण प्रबन्धन विद्यालय
2	वर्गीकरण	समुह ए
3	वेतन वैन्ड एवं ग्रेड वेतन	वेतनमानः लेवल १४ ७वी सी०पी०सी०
4	सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र	आवेदन की अंतिम तिथि को उम्मीदवार 63 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किए हों ।
5	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य	अनिवार्य अर्हता
	योग्यताए	(i) प्रबन्धन में किसी भी मान्यताप्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय सें डाक्टेरेट की उपाधि (ii) कम से कम 15 वर्षों का शिक्षण / अनुसंधान प्रसार शिक्षा का अनुभव जिसमें कम से कम 5 वर्ष प्राध्यापक / प्रधान वैज्ञानिक पे बैंड—4 रूपया 37400—67000 एवं ग्रेड पे 10000:—रूपया में होना चाहिए । (iii) शिक्षण / अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान, जो ख्यातिप्राप्त पेशेवर राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेखों / पुस्तकों आदि में प्रकाशित आलेखों द्वारा स्पष्ट होता हो । वांछित (i) विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष / प्रभाग के प्रमुख / आई०सी०ए०आर के क्षेत्रीय केन्द्रों के अध्यक्ष के रूप में प्रशासनिक अनुभव (ii) प्रबन्धन कृषि व्यवसाय प्रबन्धन / ग्रमीण प्रबन्धन के विशिष्ट सवन्दर्भ के साथ शिक्षण / अनुसंधान में नवीनतम प्रगति के विषय में घनिष्ट परिचय । अन्य शर्त्त एवं बंधेज (a) कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा और पदग्राही पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा । कार्यकाल को कर्तव्य के घोर दुराचार / अपमान के मद्देनजर प्रबंध बोर्ड द्वारा रोका जा सकता है । (b) ये बिना किराया के असज्जित अवासीय निवास के हकदार होंगे । (c) पदग्राही 65 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत होंगे ।
	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र एवं शैक्षणिक योग्यताएं क्या प्रोन्नित के लिए भी लागू होगा?	मान्य नहीं
7	परिक्षयमान अवधि, अगर कोई हो	02 साल
8	नियुक्ति की पद्धिति, सीधी नियुक्ति या प्रोन्नित के द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन के द्वारा एवं विभिन्न तरीकों से भरने के लिए पदों की प्रतिशत	ए०एस०आर०बी द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान के निदेशक के पद के लिए उपयोग किए जाने वाले स्कोर कार्ड का उपयोग स्क्रीनिंग के लिए किया जायगा । प्राप्त शैक्षणिक स्कोर को 60 प्रतिशत महत्व और साक्षात्कार को 40 प्रतिशत महत्व दिया जायगा ।

9	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा	मान्य नहीं
	भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे पदोन्नति/	
	प्रतिनियुक्ति / समायोजन किया जाना है	
10	सीधी नियुक्ति के लिए चयन समिति का	विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम के धारा 18 (2) के अनुसार ।
	गढन	

निदेशक, शिक्षा पद के लिए भर्ती नियमावली ।

1	पद का नाम	निदेशक, शिक्षा
2	वर्गीकरण	
3	वेतन वैन्ड एवं ग्रेड वेतन	समुह ए वेतनमानः लेवल 14 7वी सी०पी०सी०
4	सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र	आवेदन की अंतिम तिथि को उम्मीदवार 63 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किए हों ।
5	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य	अनिवार्य अर्हता
3	योग्यताए	(i) कृषि/उद्यान/पशु विज्ञान/आधार विज्ञान/सामुदायिक विज्ञान/कृषि अभियन्त्रण के किसी भी शाखा में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डाक्टेरेट की उपाधि
		(ii) कम से कम 15 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान प्रसार शिक्षा का अनुभव जिसमें कम से कम 5 वर्ष प्राध्यापक/प्रधान वैज्ञानिक पे बैंड–4 रूपया 37400–67000 एवं ग्रेड पे 10000:–रूपया में होना चाहिए ।
		(iii) शिक्षण/अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान, जो ख्यातिप्राप्त पेशेवर राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेखों/पुस्तकों आदि में प्रकाशित आलेखों द्वारा स्पष्ट होता हो ।
		वांछित
		(i) विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष / प्रभाग के प्रमुख / आई०सी०ए०आर के क्षेत्रीय केन्द्रों के अध्यक्ष के रूप में प्रशासनिक अनुभव
		(ii) कृषि शिक्षा / शिक्षण / अनुसंधान में नवीनतम प्रगति के विषय में घनिष्ट परिचय ।
		अन्य शर्त्ते एवं बंधेज
		(a) कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा और पदग्राही पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा । कार्यकाल को कर्तव्य के घोर दुराचार/अपमान के मद्देनजर प्रबंध बोर्ड द्वारा रोका जा सकता है ।
		(b) ये बिना किराया के असज्जित अवासीय निवास के हकदार होंगे ।
		(c) पदग्राही 65 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत होंगे ।
		(८) नवजाला ७७ सारा का सवा के बाब सवा। न्यून लगा
	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र एवं शैक्षणिक योग्यताएं क्या प्रोन्नति के लिए भी लागू होगा?	मान्य नहीं
7	परिक्ष्यमान अवधि, अगर कोई हो	02 साल
8	नियुक्ति की पद्धति, सीधी नियुक्ति या	ए०एस०आर०बी द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान के निदेशक के पद के
	प्रोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन	लिए उपयोग किए जाने वाले स्कोर कार्ड का उपयोग स्क्रीनिंग के लिए किया जायगा ।
	के द्वारा एवं विभिन्न तरीकों से भरने के लिए	प्राप्त शैक्षणिक स्कोर को 60 प्रतिशत महत्व और साक्षात्कार को 40 प्रतिशत महत्व दिया
	पदों की प्रतिशत	जायगा
9	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा	मान्य नहीं
	भर्ती के मामले में ग्रेड जिसपर पदोन्नति/	
	प्रतिनियुक्ति / समायोजन किया जाना है	
10	सीधी नियुक्ति के लिए चयन समिति का	विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम के धारा 18 (2) के अनुसार ।
	गटन	

निदेशक, प्रसार शिक्षा पद के लिए भर्ती नियमावली ।

1	पद का नाम	निदेशक, प्रसार शिक्षा
2	वर्गीकरण	समुह ए
3	वेतन वैन्ड एवं ग्रेड वेतन	वेतनमानः लेवल १४ ७वी सी०पी०सी०
4	सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र	आवेदन की अंतिम तिथि को उम्मीदवार 63 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किए हों ।
5	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य	अनिवार्य अर्हता
	योग्यतए	(i) कृषि विज्ञान/कृषि अभियन्त्रण/मत्स्यकी/पशुचिकित्सा विज्ञान/पशु विज्ञान/दुग्ध विज्ञान के किसी भी शाखा में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डाक्टरेट की उपाधि (ii) कम से कम 15 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान प्रसार शिक्षा का अनुभव जिसमें कम से कम 5 वर्ष प्राध्यापक/प्रधान वैज्ञानिक पे बैंड-4 रूपया 37400-67000 एवं ग्रेड पे 10000:-रूपया में होना चाहिए । (iii) शिक्षण/अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान, जो ख्यातिप्राप्त पेशेवर राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेखों/पुस्तकों आदि में प्रकाशित आलेखों द्वारा स्पष्ट होता हो। वांछित (i) विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष/प्रभाग के प्रमुख/आई०सी०ए०आर के क्षेत्रीय केन्द्रों के अध्यक्ष के रूप में प्रशासनिक अनुभव (ii) कृषि प्रसार/अनुसंधान में नवीनतम प्रगति के बारे में घनिष्ट परिचय । अन्य शर्त्त एवं बंधेज (a) कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा और पदग्राही पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा । कार्यकाल को कर्तव्य के घोर दुराचार/अपमान के मद्देनजर प्रबंध बोर्ड द्वारा रोका जा सकता है । (b) ये बिना किराया के असज्जित अवासीय निवास के हकदार होंगे । (c) पदग्राही 65 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत होंगे ।
	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र एवं शैक्षणिक योग्यताए क्या प्रोन्नित के लिए भी लागू होगा?	मान्य नहीं
7	परिक्ष्यमान अवधि, अगर कोई हो	02 साल
8	नियुक्ति की पद्धति, सीधी नियुक्ति या प्रोन्नित के द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समायोजन के द्वारा एवं विभिन्न तरीकों से भरने के लिए पदों की प्रतिशत	लिए उपयोग किए जाने वाले स्कोर कार्ड का उपयोग स्क्रीनिंग के लिए किया जायगा । प्राप्त शैक्षणिक स्कोर को 60 प्रतिशत महत्व और साक्षात्कार को 40 प्रतिशत महत्व दिया जायगा ।
9	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिसपर पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन किया जाना है	मान्य नहीं
10	सीधी नियुक्ति के लिए चयन समिति का गठन	विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम के धारा 18 (2) के अनुसार ।

निदेशक, अनुसंधान पद के लिए भर्ती नियमावली ।

1	पद का नाम	निदेशक, अनुसंधान
2	वर्गीकरण	समुह ए
3	वेतन वैन्ड एवं ग्रेड वेतन	वेतनमानः लेवल 14 7वी सी0पी0सी0
4	सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र	आवेदन की अंतिम तिथि को उम्मीदवार 63 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किए हों ।
5	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य	अनिवार्य अर्हता
	योग्यतएं	(i) कृषि/उद्यान/वानीकी/ दुग्ध विज्ञान/ पशु विज्ञान/आधार विज्ञान/सामुदायिक
		विज्ञान / कृषि अभियन्त्रण के किसी भी शाखा में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डाक्टेरेट
		की उपाधि

		(ii) कम से कम 15 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान प्रसार शिक्षा का अनुभव जिसमें कम से
		कम ५ वर्ष प्राध्यापक / प्रधान वैज्ञानिक पे बैंड-४ रूपया ३७४००-६७०० एवं ग्रेड पे
		10000:—रूपया में होना चाहिए ।
		(iii) शिक्षण/अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान, जो ख्यातिप्राप्त पेशेवर राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय
		पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेखों / पुस्तकों आदि में प्रकाशित आलेखों द्वारा स्पष्ट होता हो।
		वांछित
		(i) विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष / प्रभाग के प्रमुख / आई०सी०ए०आर के क्षेत्रीय केन्द्रों के
		अध्यक्ष के रूप में प्रशासनिक अनुभव
		(ii) कृषि शिक्षा/अनुसंधान में नवीनतम प्रगति के बारे में घनिष्ट परिचय ।
		अन्य शर्त्ते एवं बंधेज
		(a) कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा और पदग्राही पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।
		कार्यकाल को कर्तव्य के घोर दुराचार/अपमान के मद्देनजर प्रबंध बोर्ड द्वारा रोका जा
		सकता है ।
		(b) ये बिना किराया के असज्जित अवासीय निवास के हकदार होंगे ।
		(c) पदग्राही 65 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत होंगे ।
	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र एवं	मान्य नहीं
	शैक्षणिक योग्यताएं क्या प्रोन्नति के लिए भी	
	लागू होगा?	
7	परिक्ष्यमान अवधि, अगर कोई हो	02 साल
8	नियुक्ति की पद्धति, सीधी नियुक्ति या	ए०एस०आर०बी द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान के निदेशक के पद के
	प्रोन्नित के द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन	लिए उपयोग किए जाने वाले स्कोर कार्ड का उपयोग स्क्रीनिंग के लिए किया जायगा ।
	के द्वारा एवं विभिन्न तरीकों से भरने के लिए	प्राप्त शैक्षणिक स्कोर को 60 प्रतिशत महत्व और साक्षात्कार को 40 प्रतिशत महत्व दिया
	पदों की प्रतिशत	जायगा ।
9	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा	मान्य नहीं
	भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे पदोन्नित/	
	प्रतिनियुक्ति / समायोजन किया जाना है	
10	सीधी नियुक्ति के लिए चयन समिति का	विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम के धारा 18 (2) के अनुसार ।
	गठन	, ,

विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पद के लिए भर्ती नियमावली ।

1	पद का नाम	विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष
2	वर्गीकरण	समुह ए
3	वेतन वैन्ड एवं ग्रेड वेतन	वेतनमानः लेवल 14 7वी सी0पी0सी0
4	सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र	आवेदन की अंतिम तिथि को उम्मीदवार 63 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किए हों ।
5	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य	अनिवार्य अर्हता
	योग्यतएं	(i) पुस्तकालय विज्ञान/सुचना विज्ञान/प्रलेखन के किसी भी शाखा में डाक्टेरेट की उपाधि ।
		(ii) कम से कम 15 वर्षों का विश्वविद्यालय पुस्तकालय या राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान पुस्तकालय का अनुभव जिसमें कम से कम 5 वर्ष ग्रेड पे 7600/— या समतुल्य या 8 वर्ष ग्रेड पे रूपया 6600/— या समतुल्य होना चाहिए ।
		(iii) पुस्तकालय सेवाओं और प्रकाशित शोध पत्रों को व्यवस्थापन करने का नवीनतम साक्ष्य
		(iv) मैट्रिक स्तर पर हिन्दी / संस्कृत का ज्ञान
		नोटः यदि उम्मीदवार अन्यथा उपयुक्त पया जाता है तो मैट्रिक स्तर तक हिन्दी / संस्कृत के ज्ञान से संबंधित योग्यता में छूट दी जा सकती है । हालॉकि, ऐसे उम्मीदवार को एक साल के भीतर हिन्दी / संस्कृत में मैट्रिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ।

		अन्य शर्त्ते एवं बंधेज
		*
		(a) कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा और पदग्राही पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।
		कार्यकाल को कर्तव्य के घोर दुराचार/अपमान के मद्देनजर प्रबंध बोर्ड द्वारा रोका जा
		सकता है ।
		(b) पदग्राही 65 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत होंगे ।
6	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र एवं	मान्य नहीं
	शैक्षणिक योग्यताए क्या प्रोन्नति के लिए भी	
	लागू होगा?	
7	परिक्ष्यमान अवधि, अगर कोई हो	02 साल
8	नियुक्ति की पद्धति, सीधी नियुक्ति या	ए०एस०आर०बी द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान के निदेशक के पद के
	प्रोन्निति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन	लिए उपयोग किए जाने वाले स्कोर कार्ड का उपयोग स्क्रीनिंग के लिए किया जायगा ।
	के द्वारा एवं विभिन्न तरीकों से भरने के लिए	प्राप्त शैक्षणिक स्कोर को 60 प्रतिशत महत्व और साक्षात्कार को 40 प्रतिशत महत्व दिया
	पदों की प्रतिशत	जायगा ।
9	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा	मान्य नहीं
	भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे पदोन्नति/	
	प्रतिनियुक्ति / समायोजन किया जाना है	
10	सीधी नियुक्ति के लिए चयन समिति का	विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम के धारा 18 (2) के अनुसार ।
	गढन	

ORDINANCE

Pusa, the 11th January, 2019

(Insertion in first Ordinance issued vide Notification No. 81 dated 15.9.2017)

No. 112/RPCAU (VC).—Whereas the Government of India in the Department of Agricultural Research and Education on the basis of resolution passed in the 5th meeting of the Board of Management of the University held on 12.09.2018 has approved insertion of Recruitment Rules of the under mentioned statutory posts in Appendix-2 Schedule of the Service & Recruitment Rules (Teaching Employees), 2017 in the first Ordinance issued vide No. 81 dated 15.9.2017 of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa vide F.No 5--61/2018-CAU dated December 29, 2018 as under:

CI	D.C. I. (1.04
Clause no.	Before amendment	After amendment
Appendix-2	Posts of which recruitment rules	Recruitment Rules of the following statutory posts to be
Schedule	have already been approved	inserted in Appendix-2 Schedule
	1 Director, SRI	1. Dean, College of Agriculture/Dean Post-Graduate
	2. Director, Students Welfare	College of Agriculture
	3. Professor	2. Dean, College of Animal Sciences
	4. Associate Professor	3. Dean, College of Agricultural Engineering
	5. Assistant Professor	4. Dean, College of Basic Sciences & Humanities
		5. Dean, College of Horticulture & Forestry
		6. Dean, College of Fisheries
		7. Dean, College of Community Science
		8. Director, School of Agri-Business & Rural
		Management
		9. Director of Education
		10. Director of Extension Education
		11. Director of Research
		12. University Librarian
		Detail Recruitment Rules for the above posts are attached at
		Annexure-I

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the clause 39 of the First Statutes of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University and with the previous approval of the Central Government as aforesaid, I, the Vice-Chancellor of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa, do hereby notify the insertion in the First Ordinance (Service & Recruitment Rules (Teaching Employees), 2017) as above.

R. C. SRIVASTAVA, Vice-Chancellor

ANNEXURE-I

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DEAN, COLLEGE OF AGRICULTURE/DEAN. POST-GRADUATE COLLEGE OF AGRICULTURE

1	Name of Post	Dean, College of Agriculture/Dean, Post Graduate College of Agriculture
2	Classification	Group 'A'
3	Pay Band & Grade Pay	Pay Scale: Level 14 of 7 th CPC
4	Age Limit for direct recruits	The candidates must not have attained the age of 63 years as on the closing date of the application. (Relaxable as per DoPT Rules)
5	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualification i) Doctorate degree in any branch of agricultural sciences from a recognized University.
		ii) A minimum of 15 years of experience in teaching/ research/extension education of which at least 5 years should be as Professor/ Principal Scientist in the pay band-4 of Rs 37400-67000 with grade pay of Rs 10000/- iii) Outstanding contributions in teaching/research as evidenced by published papers in professional National/ International journals of repute/ books etc. Desirable: i) Administrative experience as Head of Department of University/ Head of Division/ Regional Station of an ICAR institute. ii) Familiarity with latest advances in Agricultural teaching and research. Other terms and conditions (a)The tenure will be five years and incumbent will be eligible for reappointment. However, tenure can be curtailed by Board of Management in view of gross misconduct/dereliction of duty. (b) He/she shall be entitled for rent free unfurnished residential accommodation c) The incumbent will superannuate on attaining 65 years age.
6	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	N. A.
7	Period of probation, if any	Two years
8	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	The score card used for screening will be same as used by ASRB for the post of Director of ICAR Institutes. The academic score obtained will be given 60% weightage and interview 40% weightage
9	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	N.A.
10	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per clause 18(2) of the First Statutes of the University.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DEAN, COLLEGE OF ANIMAL SCIENCES

1	Name of Post	Dean, College of Animal Sciences
2	Classification	Group 'A'
3	Pay Band & Grade Pay	Pay Scale: Level 14 of 7 th CPC
4	Age Limit for direct recruits	The candidates must not have attained the age of 63 years as on the closing date of the application.
5	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualification i) Doctorate degree in any branch of Animal Sciences/Veterinary or Animal Husbandry/ Dairy Science/ Technology/Fisheries, from a recognized University ii) A minimum of 15 years of experience in teaching/ research/extension education of which at least 5 years should be as Professor/ Principal Scientist in the pay band-4 of Rs 37400-67000 with grade pay of Rs 10000/- iii) Outstanding contributions in teaching/research as evidenced by published papers in professional National/ International journals of repute/ books etc. Desirable: i) Administrative experience as Head of Department of University/ Head of Division/ Regional Station of an ICAR institute.

		ii) Familiarity with latest advances in Animal Sciences teaching and research. Other term and conditions (a) The tenure will be five years and incumbent will be eligible for reappointment. However, tenure can be curtailed by Board of Management in view of gross misconduct/dereliction of duty. (b) He/she shall be entitled for rent free unfurnished residential accommodation. (c) The incumbent will superannuate on attaining 65 years age.
6	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	N. A.
7	Period of probation, if any	Two years
0	Made d. C	
8	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	Direct Recruitment The score card used for screening will be same as used by ASRB for the post of Director of ICAR Institutes. The academic score obtained will be given 60% weightage and interview 40% weightage
9	by promotion or by deputation / absorption and	The score card used for screening will be same as used by ASRB for the post of Director of ICAR Institutes. The academic score obtained will be given 60% weightage and interview 40%

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DEAN, COLLEGE OFAGRICULTURAL ENGINEERING

1	Name of Post	Dean, College of Agricultural Engineering
2	Classification	Group 'A'
3	Pay Band & Grade Pay	Pay Scale: Level 14 of 7 th CPC
5	Age Limit for direct recruits Educational and other qualifications required for direct recruits	The candidates must not have attained the age of 63 years as on the closing date of the application. Essential Qualification i) Doctorate degree in any branch of Agricultural Engineering or related engineering
		disciplines from IIT, NIT, Central/State or other reputed national Agricultural University or Central University having agriculture faculty. ii) A minimum of 15 years of experience in teaching/ research/extension education of which at least 5 years should be as Professor/ Principal Scientist in the pay band-4 of Rs 37400-67000 with grade pay of Rs 10000/- (iii) Outstanding contributions in teaching/research as evidenced by published papers in professional National/ International journals of repute/ books etc. Desirable: i) Administrative experience as Head of Department of University/ Head of Division/ Regional Station of an ICAR institute. ii) Familiarity with latest advances in Agricultural Engineering teaching and research. Other term and conditions (a)The tenure will be five years and incumbent will be eligible for reappointment. However, tenure can be curtailed by Board of Management in view of gross misconduct/dereliction of duty.
		(b) He/she shall be entitled for rent free unfurnished residential accommodation. (c) The incumbent will superannuate on attaining 65 years age.
6	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	N. A.
7	Period of probation, if any	Two years
8	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	Direct Recruitment The score card used for screening will be same as used by ASRB for the post of Director of ICAR Institutes. The academic score obtained will be given 60% weightage and interview 40% weightage
9	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	N.A.
10	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per clause 18(2) of the First Statutes of the University.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DEAN, COLLEGE OF BASIC SCIENCES & HUMANITIES

1	Name of Post	Dean, College of Basic Sciences & Humanities
2	Classification	Group 'A'
3	Pay Band & Grade Pay	Pay Scale: Level 14 of 7 th CPC
4	Age Limit for direct recruits	The candidates must not have attained the age of 63 years as on the closing date of the application.
5	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualification i) Doctorate degree in any branch of agricultural/ Basic sciences or humanities from a recognized University. ii) A minimum of 15 years of experience in teaching/ research/extension education of which at least 5 years should be as Professor/ Principal Scientist in the pay band-4 of Rs 37400-67000 with grade pay of Rs 10000/-iii) Outstanding contributions in teaching/research as evidenced by published papers in professional National/ International journals of repute/ books etc. Desirable: i) Administrative experience as Head of Department of University/ Head of Division/ Regional Station of an ICAR institute. ii) Familiarity with latest advances in Agricultural/ Basic Science/Humanities teaching and research. Other term and conditions (a)The tenure will be five years and incumbent will be eligible for reappointment. However, tenure can be curtailed by Board of Management in view of gross misconduct/dereliction of duty. (b) He/she shall be entitled for rent free unfurnished residential accommodation. (c) The incumbent will superannuate on attaining 65 years age.
6	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	N. A.
7	Period of probation, if any	Two years
8	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	Direct Recruitment The score card used for screening will be same as used by ASRB for the post of Director of ICAR Institutes. The academic score obtained will be given 60% weightage and interview 40% weightage
9	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	N.A.
10	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per clause 18(2) of the First Statutes of the University.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DEAN, COLLEGE OF HORTICULTURE & FORESTRY

1	Name of Post	Dean, College of Horticulture & Forestry
2	Classification	Group 'A'
3	Pay Band & Grade Pay	Pay Scale: Level 14 of 7 th CPC
4	Age Limit for direct recruits	The candidates must not have attained the age of 63 years as on the closing date of the application.
5	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualification i) Doctorate degree in any branch of Agricultural/Horticulture/Forestry Science from a recognized University. ii) A minimum of 15 years of experience in teaching/ research/extension education of which at least 5 years should be as Professor/ Principal Scientist in the pay band-4 of Rs 37400-67000 with grade pay of Rs 10000/- iii) Outstanding contributions in teaching/research as evidenced by published papers in professional National/ International journals of repute/ books etc. Desirable: i) Administrative experience as Head of Department of University/ Head of Division/ Regional Station of an ICAR institute. ii) Familiarity with latest advances in Agricultural/Horticultural/Forestry teaching and research Other terms and conditions (a)The tenure will be five years and incumbent will be eligible for reappointment. However, tenure can be curtailed by Board of Management in view of gross

		misconduct/dereliction of duty. (b) He/she shall be entitled for rent free unfurnished residential accommodation.
6	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	(c) The incumbent will superannuate on attaining 65 years age. N. A.
7	Period of probation, if any	Two years
8	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	Direct Recruitment The score card used for screening will be same as used by ASRB for the post of Director of ICAR Institutes. The academic score obtained will be given 60% weightage and interview 40% weightage
9	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	N.A.
10	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per clause 18(2) of the First Statutes of the University.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DEAN, COLLEGE OF FISHERIES

1	Name of Post	Dean, College of Fisheries
2	Classification	Group 'A'
3	Pay Band & Grade Pay	Pay Scale: Level 14 of 7 th CPC
4	Age Limit for direct recruits	The candidates must not have attained the age of 63 years as on the closing date of the application.
5	Educational and other qualifications required for direct recruits	i) Doctoral degree in any branch of Fisheries Science i.e. Aquaculture/ Fish Resource Management/ Fish Genetics & Breeding/ Fish Nutrition/ Fish Health/ Fish Pathology/ Fish Biotechnology/ Fish Biotechnology/ Fish Biochemistry & Physiology/ Aquatic Environment Management/Fish & Fishery Sciences. ii) A minimum of 15 years of experience in teaching/ research/extension education of which at least 5 years should be as Professor/ Principal Scientist in the pay band-4 of Rs 37400-67000 with grade pay of Rs 10000/- iii) Outstanding contributions in teaching/research as evidenced by published papers in professional National/ International journals of repute/ books etc. Desirable: i) Administrative experience as Head of Department of University/ Head of Division/ Regional Station of an ICAR institute. ii) Familiarity with latest advances in Fisheries Sciences teaching/research. Other terms and conditions (a) The tenure will be five years and incumbent will be eligible for reappointment. However, tenure can be curtailed by Board of Management in view of gross misconduct/dereliction of duty. (b) He/she shall be entitled for rent free unfurnished residential accommodation. (c) The incumbent will superannuate on attaining 65 years age.
6	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	N. A.
7	Period of probation, if any	Two years
8	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	Direct Recruitment The score card used for screening will be same as used by ASRB for the post of Director of ICAR Institutes. The academic score obtained will be given 60% weightage and interview 40% weightage
9	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	N.A.
10	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per clause 18(2) of the First Statutes of the University.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DEAN, COLLEGE OF COMMUNITY SCIENCE

1	Name of Post	Dean, College of Community Science
2	Classification	Group 'A'

3	Pay Band & Grade Pay	Pay Scale: Level 14 of 7 th CPC
4	Age Limit for direct recruits	The candidates must not have attained the age of 63 years as on the closing date of the application.
5	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential i) Doctorate degree in any branch of Community Science (Home Science) ie., Food and Nutrition, Human Development and Family Studies, Human Resource Management, Clothing and Textile, Home Science Extension including relevant basic sciences. ii) A minimum of 15 years of experience in teaching/ research/extension education of which at least 5 years should be as Professor/ Principal Scientist in the pay band-4 of Rs 37400-67000 with grade pay of Rs 10000/- iii) Outstanding contributions in teaching/research as evidenced by published papers in professional National/ International journals of repute/ books etc. Desirable: i) Administrative experience as Head of Department of University/ Head of Division/ Regional Station of an ICAR institute. ii) Familiarity with latest advances in Community Science (Home Science) teaching and research. Other terms and conditions (a)The tenure will be five years and incumbent will be eligible for reappointment. However, tenure can be curtailed by Board of Management in view of gross misconduct/dereliction of duty. (b) He/she shall be entitled for rent free unfurnished residential accommodation. (c) The incumbent will superannuate on attaining 65 years age.
6	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	N. A.
7	Period of probation, if any	Two years
8	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	Direct Recruitment The score card used for screening will be same as used by ASRB for the post of Director of ICAR Institutes. The academic score obtained will be given 60% weightage and interview 40% weightage
9	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	N.A.
10	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per clause 18(2) of the First Statutes of the University.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DIRECTOR, SCHOOL OF AGRI BUSINESS AND RURAL MANAGEMENT

1	Name of Post	Director, School of Agri-Business & Rural Management
2	Classification	Group 'A'
3	Pay Band & Grade Pay	Pay Scale: Level 14 of 7 th CPC
4	Age Limit for direct recruits	The candidates must not have attained the age of 63 years as on the closing date of the application.
5	Educational and other qualifications required for direct recruits	i) Doctorate degree in any branch of Management from a recognized University/ Institute. ii) A minimum of 15 years of experience in teaching/ research in a reputed Management Institute of which at least 5 years should be as Professor/ Principal Scientist in the pay band-4 of Rs 37400-67000 with grade pay of Rs 10000/-iii) Outstanding contributions in teaching/research as evidenced by published papers in professional National/ International journals of repute/ books etc. Desirable: i) Administrative experience as Head of Department of University/ Head of Division/ Regional Station of an ICAR institute. ii) Familiarity with latest advances in teaching/research in Management with specific reference to Agri Business Management/Rural Management. Other terms and conditions (a) The tenure will be five years and incumbent will be eligible for reappointment. However, tenure can be curtailed by Board of Management in view of gross misconduct/dereliction of duty. (b) The incumbent will superannuate on attaining 65 years age.
6	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	N. A.
7	Period of probation, if any	Two years
8	Method of recruitment: whether by direct recruitment or	Direct Recruitment

	by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	The score card used for screening will be same as used by ASRB for the post of Director of ICAR Institutes.
		The academic score obtained will be given 60% weightage and interview 40% weightage
9	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	N.A.
10	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per clause 18(2) of the First Statutes of the University.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DIRECTOR OF EDUCATION

1	Name of Post	Director of Education
2	Classification	Group 'A'
3	Pay Band & Grade Pay	Pay Scale: Level 14 of 7 th CPC
4	Age Limit for direct recruits	The candidates must not have attained the age of 63 years as on the closing date of the application.
5	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualification i) Doctorate degree in any branch of Agricultural/Horticultural/Animal Sciences/Basic Science/Community Science/Agricultural Engineering from a recognized University. ii) A minimum of 15 years of experience in teaching and research of which at least 5 years should be as Professor/ Principal Scientist in the pay band-4 of Rs 37400-67000 with grade pay of Rs 10000/- iii) Outstanding contributions in teaching/research as evidenced by published papers in professional National/ International journals of repute/ books etc. Desirable: i) Administrative experience as Head of Department of University/ Head of Division/ Regional Station of an ICAR institute. ii) Familiarity with latest advances in Agricultural education/teaching/research. Other terms and conditions (a)The tenure will be five years and incumbent will be eligible for reappointment. However, tenure can be curtailed by Board of Management in view of gross misconduct/dereliction of duty. (b) He/she shall be entitled for rent free unfurnished residential accommodation. (c) The incumbent will superannuate on attaining 65 years age.
6	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	N. A.
7	Period of probation, if any	Two years
8	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	Direct Recruitment The score card used for screening will be same as used by ASRB for the post of Director of ICAR Institutes. The academic score obtained will be given 60% weightage and interview 40% weightage
9	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	N.A.
10	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per clause 18(2) of the First Statutes of the University.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DIRECTOR OF EXTENSION EDUCATION

1	Name of Post	Director of Extension Education
2	Classification	Group 'A'
3	Pay Band & Grade Pay	Pay Scale: Level 14 of 7 th CPC
4	Age Limit for direct recruits	The candidates must not have attained the age of 63 years as on the closing date of the application.
5	Educational and other qualifications required for direct recruits	 i) i) Doctorate degree in any branch of Agricultural Science/ Agricultural Engineering/ Fisheries/ Veterinary Science/Animal Sciences/Dairy Science from a recognized University. ii) A minimum of 15 years of experience in teaching/ research/extension of which at least 5 years should be as Professor/ Principal Scientist in the pay band-4 of Rs 37400-67000 with grade pay of Rs 10000/- iii) Outstanding contributions in agril. extension/ research/teaching as evidenced by

		published papers in professional National/ International journals of repute/ books
		etc.
		Desirable:
		i) Administrative experience as Head of Department of University/ Head of
		Division/ Regional Station of an ICAR institute.
		ii) Familiarity with latest advances in Agricultural extension education/research.
		Other terms and conditions
		(a) The tenure will be five years and incumbent will be eligible for reappointment.
		However, tenure can be curtailed by Board of Management in view of gross
		misconduct/dereliction of duty. (b) He/she shall be entitled for rent free unfurnished residential accommodation.
		(c) The incumbent will superannuate on attaining 65 years age.
6	Whether age and educational quail-fications prescribed	N. A.
	for direct recruits will apply in the case of promotes	
7	Period of probation, if any	Two years
8	Method of recruitment: whether by direct recruitment or	Direct Recruitment
0	by promotion or by deputation / absorption and	2.1001 1.001 1.1011
	percentage of the posts to be filled by various methods.	The score card used for screening will be same as used by ASRB for the post of Director of ICAR Institutes.
		The academic score obtained will be given 60% weightage and interview 40% weightage
9	In case of recruitment by promotion/ deputation/	N.A.
	absorption, grades from which promotion/ deputation/	
	absorption to be made	
10	Composition of Selection Committee for direct	As per clause 18(2) of the First Statutes of the University.
	recruitment	

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DIRECTOR OF RESEARCH

1	Name of Post	Director of Research
2	Classification	Group 'A'
3	Pay Band & Grade Pay	Pay Scale: Level 14 of 7 th CPC
4	Age Limit for direct recruits	The candidates must not have attained the age of 63 years as on the closing date of the application.
5	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualification i) Doctorate degree in any branch of Agricultural/Horticultural/ Forestry /Dairy/Animal Sciences/Basic Science/Community Science/ Agricultural Engineering from a recognized University. ii) A minimum of 15 years of experience in teaching/research of which at least 5 years should be as Professor/ Principal Scientist in the pay band-4 of Rs 37400- 67000 with grade pay of Rs 10000/- iii) Outstanding contributions in teaching/research as evidenced by published papers in professional National/ International journals of repute/ books etc. Desirable: i) Administrative experience as Head of Department of University/ Head of Division/ Regional Station of an ICAR institute. ii) Familiarity with latest advances in agricultural teaching/research. Other terms and conditions (a) The tenure will be five years and incumbent will be eligible for reappointment. However, tenure can be curtailed by Board of Management in view of gross misconduct/dereliction of duty. (b) He/she shall be entitled for rent free unfurnished residential accommodation. (c) The incumbent will superannuate on attaining 65 years age.
6	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	N. A.
7	Period of probation, if any	Two years
8	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	Direct Recruitment The score card used for screening will be same as used by ASRB for the post of Director of ICAR Institutes. The academic score obtained will be given 60% weightage and interview 40% weightage
9	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	N.A.
10	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per clause 18(2) of the First Statutes of the University.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF UNIVERSITY LIBRARIAN

1	Name of Post	University Librarian
2	Classification	Group 'A'
3	Pay Band & Grade Pay	Pay Scale: Level 14 of 7 th CPC
4	Age Limit for direct recruits	The candidates must not have attained the age of 63 years as on the closing date of the application.
5	Educational and other qualifications required for direct recruits	i) Doctorate degree in Library Science/Information Science/ Documentation. ii) A minimum of 15 years experience in University Library or National Research Institute out of which, at least five years should be in grade pay of Rs. 7,600/- or equivalent or eight years in grade pay of Rs. 6,600/- or equivalent. iii) Evidence of innovative library services and organization of published work. iv) Knowledge of Hindi/Sanskrit up to Matric level Note: If the candidate is otherwise found suitable, the qualification concerning knowledge of Hindi/Sanskrit up to Matric level is relaxable. Such candidate will, however, have to pass the Matriculation level examination in Hindi/Sanskrit within a year. Other terms and conditions (a)The tenure will be five years and incumbent will be eligible for reappointment. However, tenure can be curtailed by Board of Management in view of gross misconduct/dereliction of duty. (b) The incumbent will superannuate on attaining 65 years age.
6	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	N. A.
7	Period of probation, if any	Two years
8	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	Direct Recruitment The score card used for screening will be same as used by ASRB for the post of Director of ICAR Institutes. The academic score obtained will be given 60% weightage and interview 40% weightage
9	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	N.A.
10	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per clause 18(2) of the First Statutes of the University.